


निर्वाचन-नियम

(क्या हैं, और कैसे होने चाहियें ?)



एम ए, एल एल बी, अर्थ शास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्व विद्यालय

और

भगवानदास केला

रचयिता, भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्र निर्माण, आदि ।



प्रकाशक

व्यवस्थापक, भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन



प्रथम संस्करण
१२०० प्रति

} ११२६ { मूल्य
सर्घ साधारण से, ॥-)
स्थायी ग्राहकों से, ॥=)

मुद्रक—

त्रैलोक्यनाथ शर्मा,

“जमुना प्रिन्टिंग वर्क्स,” मथुरा ।

समर्पण

श्री० घनश्यामदास जी बिड़ला;

कलकत्ता

मान्यवर महोदय,

आपके हिन्दी, हिन्दू और हिन्द के प्रेम को कौन नहीं जानता ? शिक्षा प्रचार तथा हिन्दी साहित्य की वृद्धि के प्रयत्न में आप औरों के लिये आदर्श-रूप हैं। गत-वैभव हिन्दू जाति की हित-चिन्तना आपके मानों स्वाध्याय का विषय है, और समाज सुधार के कटकाकीर्ण मार्ग में आप दृढ़ता और गम्भीरता पूर्वक अग्रसर हो रहे हैं। अब आपका ध्यान राजनैतिक क्षेत्र की ओर भी आकर्षित हुआ है। इस अवसर पर हम आपकी सेवा में यह रचना सादर समर्पित करते हैं। अपनी स्वाभाविक उदारता से इसे स्वीकार करें।

विनोद

लेखक.

सरकारी तथा राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रचलित, और पाठ्य पुस्तकों,
पारितोषिक या पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत

भारतीय ग्रन्थमाला

स	नाम	मूल्य सर्व साधारण से	मूल्य स्थायी ग्राहकों से
१	भारतीय शासन	III(=)	II(=)II
२	भारतीय विद्यार्थी विनोद	I(=)	≡)
३	भारतीय राष्ट्र निर्माण	III(=)	I(≡)
४	भारतीय प्रार्थी	II)	I)
५	अन्योक्ति तरङ्गिणी	I)	≡)
६	भारतीय जागृति	१)	II)
७	देश भक्त दामोदर	III)	I(=)
८	भारतीय चिन्तन	III(=)	I I(≡)
९	भारतीय राजस्व	III(=)	I(≡)
१०	निर्वाचन नियम	II(=)	I(=)
(क)	हिन्दी भाषामें अर्थ शास्त्र	→)II
(ख)	हिन्दी भाषा में राजनीति	→)II
(ग)	हमारा प्राचीन गौरव	→)II

नोट—अधिक हाल जानने के लिये ~~का~~ टिकट भेजकर हमारा
सविस्तर सूचीपत्र मंगाकर देखिये।

भगवानदास कला

भारतीय ग्रन्थ माला, धुन्दावन।

❀ भ्रम निवारक पत्र ❀

पाठकों से निवेदन है कि वे कृपाकर- निम्न लिखित सुधार करके, इस पुस्तक को पढ़ें —

पृष्ठ २ — फुट नोट की आठवीं पंक्ति में “ और भारतवर्ष को ” के आगे “ महान भारतवर्ष को ” नहीं चाहिये ।

पृष्ठ ८ — तीसरी पंक्ति में “ करेंगे ” के आगे “ हैं ” नहीं चाहिये ।

पृष्ठ १४—बारहवीं पंक्ति में “ सुधार कानूनों ” के स्थान पर “ सुधार कानून ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ४३—दूसरी पंक्ति में “ भिन्न ” के स्थान पर “ भिन्न भिन्न ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ४१ और ५१—इन पृष्ठों का शीर्षक “ निर्वाचक किसे होना चाहिये ” के स्थान पर “ कौन व्यक्ति निर्वाचक हो सकता है ? ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ५१—दूसरी पंक्ति के बाद यह और पढ़िये “ म्युनिसिपैलिटी सम्बन्धी दख्खीस्त उसके सेक्रेटरी को, और व्यवस्थापक संस्था सम्बन्धी दख्खीस्त जिला-मेजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिये । ”

पृष्ठ ५७—दसवीं पंक्ति में “ लिख पढ़ न सकते हों ” के स्थान पर “ लिख पढ़ सकते हों ” होना चाहिये ।

पृष्ठ ८३—फुट नोट का पहिला शब्द “ प्रत्येक ” है ।

पृष्ठ ९८—बारहवीं पंक्ति में ठहराये जाने के आगे ‘के’ चाहिये ।

पृष्ठ १०४—दूसरी पंक्ति में यह और पढ़िये, “इसे हटाना चाहिये” ।

❀ विषय सूची ❀

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	निर्वाचक सघ	१
२	निर्वाचक होने के अनधिकारी	१३
३	निर्वाचक कौन हो सकता है ?	१८
४	निर्वाचक किसे होना चाहिये ?	३५
५	कोई व्यक्ति निर्वाचक कैसे हो सकता है ?	४८
६	उम्मेदवार कौन हो सकता है ?	५२
७	उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?	६०
८	कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है ?	६५
९	उम्मेदवार के कार्य	७२
१०	मत किस प्रकार दिये जाते हैं ?	८१
११	निर्वाचन-अपराध	८७
१२	निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेजें	९७
१३	निर्वाचन-सुधार	१०३

परिशिष्ट-१—भिन्न भिन्न प्रान्तों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या	११२
” २—युक्त प्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि	११३
” ३—मध्य प्रान्त के निर्वाचक सभ और प्रतिनिधि	१२२
” ४—व्यवस्थापक संस्थाओं की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना	१२६
” ५—युक्त प्रान्त की अ्युनिसिपैलिटियों की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना	१२८
” ६—निर्वाचन-पत्र का नमूना	१३०



निर्वाचन-नियम

क्या हैं, और कैसे होने चाहियें ?



पहिला अध्याय

निर्वाचक संघ



"I see her (India) not as an India with representations of different communities, not an India where the Hindu community shall be striving for its own interests only, or the Mahomedan community attempting to obtain some special interest for itself or the Europeans considering the interests for the moment of their own community, but an India of all communities, of all classes, in which the Hindu, the Muslim, the European and every other class, race and creed shall join and endeavour to make India a great India and to give her a higher place in the future history of the world, when every man will be doing his utmost for the country in which he has been born or has

*interests are involved, so that all may concentrate their attention upon the one ultimate goal" **

—LORD READING

प्रतिनिधि प्रणाली—सन् १९१९ ई० के शासन सुधारों के अनुसार भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन का श्रीगणेश होगया है। उत्तरदायी शासन का आधार प्रतिनिधि प्रणाली है। इस लिये यह ज्ञान लेना उपयोगी होगा कि यह प्रणाली कैसे प्रचलित हुई।

* **भावार्थ**—मे इस देश (भारतवर्ष) को ऐसे भारतवर्ष के रूप में नहीं देखता हूँ जिस में भिन्न भिन्न जातियों के प्रतिनिधि हों, जहाँ हिन्दू जाति अपने ही स्वार्थों की पूर्ति का प्रयत्न करे या मुसलमान जाति अपने विशेष हित प्राप्त करने की कोशिश करे, या योरोपियन लोग अपनी ही जाति के सामयिक लाभों का चिन्तन करें, वगन् में इसे ऐसे भारतवर्ष के रूप में देखता हूँ जो सब जातियों और सभी श्रेणियों का हो, जिस में हिन्दू, मुसलमान, योरोपियन और दूसरी प्रत्येक श्रेणी, जाति और धर्म के लोग मिल कर काम करेंगे और भारतवर्ष को महान भारतवर्ष को महान भारतवर्ष बनाने और उसे सत्कार के भावी इतिहास में अधिक उन्नत स्थान देने का प्रयत्न करेंगे, जब प्रत्येक आदमी उस देश के लिये अपनी शक्ति भर अधिक से अधिक कार्य करेगा, जिस में उसका जन्म हुआ है, या जिस में उसका हित सम्बद्ध है, इस प्रकार सब आदमी अपना ध्यान एक अन्तिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पूरी तरह लगावे।

प्राचीन समय में यूनान आदि देशों के छोटे छोटे राज्यों में नौकड़ों वर्ष तक शासन सम्बन्धी विषयों पर निर्धारित भाग्य के समस्त नागरिक † एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते थे, और उनकी सर्व सम्मति या बहु सम्मतिसे ही राज्य नियम बनते थे। इस प्रकार एक देश या प्रान्त की बहुत सी जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था कार्य में भाग लेने का अविकार था। उस समय साधारण कानूनों पर भी विचार करने वालों की संख्या बहुत अधिक हो जाती थी। जब तरु राज्य बहुत छोटे रहे, व्यवस्था कार्य जैसे तैसे चलता रहा। परन्तु क्रमशः उनके बड़े और विस्तृत होजाने पर, एवं उनकी जन संख्या बहुत बढ़ जाने पर शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होगा असम्भव होगया।

तब प्रतिनिधि प्रणाली का आविष्कार हुआ। यह सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग (ग्राम या नगर) के समस्त नागरिक व्यवस्था कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अविकार कुछ चुने हुए सज्जनों को दे दें, जो उनकी ओर से आवश्यक नियम रचना और शासन कार्य किया कर। ऐमें

† यूनान में प्रायः सैनिक ही नागरिक बड़े जाते थे। इन देशों में बहुत से गुलाम (दास) होते थे, उन्हें तथा स्त्रियों को नागरिकों के अधिकार प्राप्त नहीं थे।

चुने हुए सज़न प्रतिनिधि कहलाने लगे । विशेष सुविधाजनक होने के कारण इस प्रणाली का प्रचार क्रमशः ससार के बहुत से सभ्य देशों में हो गया † । प्रत्येक देश में व्यवस्थापक सभाओं के लिये, जनता की सर्व सम्मति या बहुमत के अनुसार, प्रतिनिधि चुने जाने लगे । एक निर्धारित अवधि के पश्चात् इन प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की व्यवस्था की गयी ।

निर्वाचन अधिकार—निर्वाचन अधिकार का आजकल पडा महत्व है । इसके सदुपयोग पर ही हमारी राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक उन्नति निर्भर है । भारतवर्ष में सुधार कानून के अनुसार कुछ व्यक्तियों को यह अधिकार दिया गया है, और ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्रमशः बढ़ती ही जायगी । इस अधिकार के उचित उपयोग के लिये हमारे जन समुदाय को यह ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये कि निर्वाचन सम्बन्धी नियम क्या हैं, निर्वाचक कौन होना चाहिये, आजकल भारत-वर्ष में भिन्नभिन्न व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के लिये निर्वाचक कौन हो सकता है, इन सस्थाओं के लिये उम्मेदवार कौन हो सकता है और किसे

† जिन संधियों का उद्देश्य राजनैतिक न होना, सामाजिक धार्मिक या आर्थिक आदि होता है, उनके सदस्यों के लिये भी † प्रतिनिधि-प्रणाली का उपयोग किया जाता है ।

होना चाहिये, तथा निर्वाचकों और उम्मेदवारों के क्या क्या कर्तव्य हैं, इत्यादि ।

निर्वाचक संघ—निर्वाचन के सुभीते के लिये प्रत्येक प्रान्त, जिला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचक समूह को निर्वाचक संघ कहते हैं । प्रत्येक निर्वाचक संघ अपनी ओर से प्रायः एक एक (कहीं कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है ।

साधारण निर्वाचक संघ—भारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं, साधारण और विशेष । व्यवस्थापक मन्त्रालयों, तथा कुछ स्थानों में म्युनिसिपैलिटियों और जिला बोर्डों के लिये साधारण निर्वाचक संघ जाति-गत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का निर्वाचक संघ, गैर-मुसलमानों का निर्वाचक संघ, योरोपियनों का निर्वाचक संघ, सिखों का निर्वाचक संघ, इत्यादि ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये जाति-गत निर्वाचक संघ प्रायः नगरों और ग्रामों में विभक्त किये गये हैं, जैसे मुसलमानों का नगर-निर्वाचक संघ, मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ, गैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ इत्यादि ।

जिस क्षेत्र का निर्वाचक सभ होता है, उसका नाम भी निर्वाचक सभ के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे लखनऊ जिले का गैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ ।

जिम व्यवस्थापक संस्था का निर्वाचक सभ होता है, उसका भी नाम निर्वाचक संघ के नाम के साथ जोड़ देने से निर्वाचक सभ का पूरा परिचय होजाता है, जैसे युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का, लखनऊ जिले का, गैर-मुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ ।

निर्वाचक संघों का क्षेत्र—अब हम यह विचार करते हैं कि एक साधारण निर्वाचक सभ का क्षेत्र कितना होता है । भिन्न भिन्न प्रान्तों में, तथा भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं में इस क्षेत्र का विस्तार पृथक् पृथक् होता है । पाठक जानते होंगे कि भारतवर्ष के एक प्रान्त के जितने निर्वाचित प्रतिनिधि उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद में होते हैं, उनसे कम भारतीय व्यवस्थापक सभा में, और उनसे भी कम राज्य परिषद में होते हैं । उदाहरणार्थ युक्त प्रान्त के प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद में १००, भारतीय व्यवस्थापक सभा में ५६ और राज्य परिषद में ५ प्रतिनिधि होते हैं । इस लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के एक निर्वाचक संघ के क्षेत्र से भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचक सभ का क्षेत्र बड़ा

होगा, और राज्य परिषद् के एक निर्वाचक संघ का क्षेत्र तो उससे भी बड़ा रहने वाला ठहरा।

प्रायः प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के एक नगर-निर्वाचक संघ का क्षेत्र एक शहर और ग्राम-निर्वाचक संघ का क्षेत्र एक ज़िला (शहर छोड़कर) निर्धारित किया गया है। भारतीय व्यवस्थापक सभा के एक नगर-निर्वाचक संघ का क्षेत्र एक बड़ा शहर या कई शहरों का एक समूह, और ग्राम-निर्वाचक संघ का क्षेत्र एक या दो कमिश्नरी या डिप्टीजन (कुछ जिलों का समूह) है। राज्य परिषद् के एक निर्वाचक संघ का क्षेत्र एक प्रान्त या उसका कोई भाग माना गया है।

विशेष निर्वाचक संघ—सुधार कानून के आधार पर बने हुए नियमों के अनुसार जमींदारों जैसे कुछ विशेष जन समुदाय या विश्व-विद्यालय तथा वाणिज्य सभा (चेम्बर-ऑफ-कामर्स) आदि संस्थाओं को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसे जन समुदायों या संस्थाओं के निर्वाचक संघ, विशेष निर्वाचक संघ कहलाते हैं। ये जिस जन समुदाय या संस्था के होने हैं, उसी के नाम से इनका नाम पड़ जाता है, जैसे मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये जमींदारों का निर्वाचक संघ, युक्त प्रान्तीय

व्यवस्थापक परिषद् के लिये प्रयाग विश्व-विद्यालय का निर्वाचक संघ ।

अब हम यह विचार करेंगे हैं कि किसी जन समुदाय या संस्था का जाति-गत या पृथक् निर्वाचक संघ होना कहां तक उचित है । किन्तु इसके पहिले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि विशेष प्रतिनिधित्व ही कहा तक ठीक है ।

विशेष प्रतिनिधित्व—इस विषय में राजनीतिज्ञों में मत भेद है । एक पक्ष का मत है कि किसी भी प्रकार का विशेष प्रतिनिधित्व अनावश्यक, अन्याय-युक्त और देश के लिये हानिकर है । दूसरा पक्ष सिद्धान्त से तो पहले पक्ष का ही समर्थन करता है, परन्तु उसका कथन है कि जब तक समाज की स्थिति ऐसी है कि बहुत से आदमी सब के हित का विचार न करके अपनी दृष्टि छोटे छोटे क्षेत्र तक ही परिमित रखते हैं, व्यवहार में विशेष प्रतिनिधित्व से काम लेना पड़ेगा । इस पक्ष का तर्क यह है कि देश में कुछ श्रेणियों के, या कुछ स्वार्थी वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिन पर सरकारी कानूनों और कर आदि का भारी असर पड़ता है, परन्तु साधारण जनता में इन व्यक्तियों की संख्या या प्रभाव कम होने से, ये चुनाव में नहीं आते, और, यदि आते भी हैं तो बहुत कम । इस से ये अपने लिये बनने वाले कानूनों या अपने ऊपर लगने वाले करों के

सम्यन्व में शपना मत प्रकट नहीं कर सकते और बहुत हानि उठाते हैं। इस लिये इन व्यक्तियों को अपने कुछ विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिलना चाहिये।

इस विषय में हमारी सम्मति यह है कि समाज की उस परिस्थिति को ही बदल देने का प्रयत्न होना चाहिये जिसके आवार पर विशेष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता बतायी जाती है। रानैजतिक विषयों में सब नागरिकों की एकही श्रेणी हो और सबका समान ही स्वार्थ हो। इस प्रकार समाजका प्रत्येक व्यक्ति सबके लिये हो। कोई सदस्य किसी विषय में अपना मत दे, तो सभी के हित को दृष्टि में रखे। किसी विशेष श्रेणी के, या विशेष स्वार्थ वाले व्यक्तियों को पृथक् प्रतिनिधित्व देना, समाज की छिन्न भिन्न कर देना है। यह फूट की वेल एक धार लग जाने पर सदैव बढ़ती ही रहती है और अन्त में समाज भर को प्रस्त करके छोड़ती है। इसलिये समाज के किसी अंग को विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार देना, सर्वथा अनुचित है।

जाति-गत निर्वाचक संघ—विशेष प्रतिनिधित्व को लक्ष्य में रखकर ही भारतवर्ष में मुसलमानों ने जाति-गत प्रतिनिधित्व का दावा उपस्थित किया। देश के दुर्भाग्य से, हिन्दू नेताओं की अत्यधिक उदारता से, तथा सरकारी अवि-

कारियों की कृपा से उनका यह दावा स्वीकृत होगया । विशेष
 आपत्तिजनक बात तो यह हुई कि यहा साधारण निर्वाचक
 सभ जाति-गत निर्वाचक संघों में विभक्त किये गये और यह
 व्यवस्था की गयी कि किसी जाति-गत निर्वाचक संघ के
 प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकें
 जो उर्मा जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक सभ है ।
 इसमे यहा राष्ट्रीयता का भयकर हास होरहा है । नागरिक
 अपनी अपनी जाति या धर्म आदि के पीछे पडकर देश प्रेम के
 भावों की नितान्त अवहेलना कर रहे हैं । रोग किस तरह
 घरघर बढ़ता ही जा रहा है, इसका हमें प्रत्यक्ष अनुभव है ।

आज फल मुसलमान उम्मेदवारों को केवल मुसलमान
 निर्वाचकों का, और, हिन्दू उम्मेदवारों को केवल हिन्दू निर्वा-
 चकों का मत सग्रह करना होता है । प्रायः ये उम्मेदवार अपनी
 अपनी जाति में जितने अधिक 'कट्टर' प्रसिद्ध होते हैं, उतने ही
 अधिक मत इन्हे मिलने की आशा होती है । इस लिये निर्वाचनों के
 पहले अपनी 'कट्टरता'की विशक्ति करना भी कुछ उम्मेदवारों
 ने अपना कार्य समझ लिया है । इस से भिन्न भिन्न जातियों में
 एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव बढ़ता है । इसके फल
 स्वरूप जाति-गत दंगों की वृद्धि होती है, और हमारी राष्ट्रीय
 उन्नति में बड़ी बाधा उपस्थित ही रही है । इसे हटाना बहुत
 आवश्यक है । इस लिये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि

किसी उम्मेदवार के लिये न केवल उमकी ही जाति वाले घरन् दूसरी जाति के भी निर्वाचक अपना मत दे सकें। अथवा यां कह सकते हैं कि निर्वाचक सब जाति-गत न रहें, वे मयुक्त होने चाहियें।

सयुक्त निर्वाचक संघों की आवश्यकता—उदाहरणार्थ यदि एक जिले या कमिश्नरी में एक हिन्दू और एक मुसलमान सदस्य निर्वाचित करना है तो इस निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था न होनी चाहिये कि इसके मुसलमान निर्वाचक मुसलमान सदस्य को चुनें और हिन्दू निर्वाचक हिन्दू सदस्य को। इसके विपरीत मानूँ ऐसा होना चाहिये कि मुसलमान सदस्य के चुनाव में हिन्दू निर्वाचक, और हिन्दू सदस्य के चुनाव में मुसलमान-निर्वाचक भी अपना मत दे सक। *

जब उम्मेदवारों को अपनी जाति के निर्वाचकों के अतिरिक्त दूसरी जाति वाले निर्वाचकों के भी मत की आवश्यकता होगी, वे सकुचित जाति-गत दृष्टि से काम लेना छोड़ देंगे, और अपनी ही जाति के लोगों को प्रसन्न करने की भावना न रखकर सभी जातियों के हित का विचार किया करेंगे। उनके

* इसी प्रकार योगोपियानो या सिगो जादि के लिये भी पृथक जाति-गत निर्वाचक सभ न रहने चाहिये।

चार उदार हो जायेंगे। इस प्रकार देश में राष्ट्रीयता के
वर्गों की वृद्धि में बड़ी सहायता मिलेगी।

संयुक्त निर्वाचक संघों की व्यवस्था से यह आशंका करना
अर्थ है कि अल्प सख्यक जातियों के कम प्रतिनिधि चुने
जायेंगे, कारण कि इनके प्रतिनिधियों की संख्या तो कानून
द्वारा निश्चित है, और रखी जा सकती है।

इसमें स्पष्ट है कि यह रीति जाति-गत वैमनस्य और दंगों
को दूर करने और जनता में देश प्रेम का भाव बढ़ाने में बहुत
सहायक होगी। अतः हमें इसे कानून द्वारा प्रचलित
कराने का प्रयत्न करना चाहिये।

दूसरा अध्याय

निर्वाचक होने के अनधिकारी



किन्हीं मताधिकार नहीं मिलना चाहिये ?—पिछले अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि निर्वाचक संघ किस किस प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के होने चाहिये । अब हम यह विचार करते हैं कि निर्वाचक होने, अर्थात्, मत देने का अधिकार किन किन व्यक्तियों को नहीं मिलना चाहिये । कुछ पाठक सोचते होंगे कि यह अधिकार सभी को मिलना चाहिये, परन्तु तनिक विचार करने पर वे समझ जायगे कि राष्ट्र के अपरिपक्व या विकृत अंगों को मताधिकार मिलना उचित नहीं है । इसी विचार से उन्नत प्रजातंत्र राज्यों में भी बालकों (प्रायः अठारह बीस वर्ष से कम आयु वालों) को तथा पागलों को यह अधिकार नहीं दिया जाता । कारण, उनमें नागरिक प्रदनों पर विचार करके देश हितार्थ उचित मत देने की योग्यता नहीं होती ।

कैदियों का कैद रहना ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है । इस लिये

उन्हें कुछ समय के लिये मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है।

विदेशियों या अ-नागरिकों को भी प्रायः किसी देश में मताधिकार नहीं मिलता, क्योंकि इनकी अपने देश से जो सहानुभूति होती है, वह दूसरे राष्ट्र से होनी दुर्लभ है। इसी विचार से एक प्रान्त, जिले या नगर में बहुधा दूसरे प्रान्त, जिले या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं दिया जाता। परन्तु कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का अनाधिकारी नहीं माना जाना चाहिये। अब हम यह बतलाते हैं कि सुधार कानूनों के अन्तर्गत भारतवर्ष में व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्यूनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—राज्य परिषद्, भारतीय व्यवस्थापक सभा और प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये नीचे लिखे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते —

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हों।

[भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों नियम बनाकर

किसी देशी नरेश अथवा उसकी प्रजा को कुछ शर्तों के अनुसार निर्वाचन अधिकार दे सकती है ।]

२—जो स्त्री हों ।

[व्यवस्थापक सस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रस्ताव पास करके स्त्रियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं । मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार-उड़ीसा, संयुक्त प्रान्त और आसाम की व्यवस्थापक परिषदों ने स्त्रियों को यह अधिकार दे दिया है, वरमा में यह अधिकार पहले से ही, नियमों के अनुसार मिला हुआ है ।]

३—जो किसी न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये हों ।

४—जो दस वर्ष से कम आयु के हों ।

[वरमा में अठारह वर्ष या इस से अधिक आयु के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

५—जो व्यक्ति गत पांच वर्षों में भागतीय डंड विधान की ९ अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये छ मास से अधिक का दंड दिया जा सके ।

[यदि भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारें चाहें तो ऐसे दोषी व्यक्तियों को पांच वर्ष के भीतर भी निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं ।]

६—जो गत पांच वर्ष के भीतर निर्वाचन के समय में रिश्वत देने, अनुचित प्रभाव डालने, झूठे नाम से काम करने (Personation), झूठा वयान प्रकाशित करने, निर्धारित द्रव्य से अधिक खर्च करने, निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध का हिसाब न देने, या झूठा हिमायत देने का, निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा, अपराधी ठहराए गए हों ।

[भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारें चाह तो ऐसे व्यक्तियों को पांच वर्ष के अन्दर ही निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं ।]

७—जो गत तीन वर्षों के अन्दर निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा ऐसे निर्वाचन-अपराध * का अपराधी ठहराया गया हो जो ऊपर नं० ६ में नहीं बताये गये हैं ।

[भारत सरकार या प्रान्तीय सरकारें ऐसे दोषी व्यक्तियों को तीन वर्ष के अन्दर ही निर्वाचन अधिकार दे सकती हैं ।]

नोट—उपर्युक्त व्यक्ति निर्वाचन सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते और यदि भूल से उनका नाम दर्ज होजाय

* ये अपराध नीचे लिखे अनुसार हैं, रिश्वत लेना, किसी मत-दाता को सवारी खर्च देना, निर्वाचन के लिये किराये की सवारी लेना, शराब की दुकानों को किराये पर देना, या कोई ऐसी सूचना-प्रकाशित करना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम न दिया हो ।

तो निर्धारित समय के अन्दर निकाला जा सकता है । किसी व्यक्ति का नाम किसी व्यवस्थापक सस्था के दो साधारण निर्वाचक सचों में एक साथ दर्ज नहीं किया जा सकता ।

युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये—युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के चुनाव के लिये नीचे लिखे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते —

१—जो २१ वर्ष से कम आयु के हों ।

२—जो ब्रिटिश प्रजा न हों ।

३—जो किसी न्यायालय द्वारा पागल ठहराये गये हों ।

४—जो ऐसे दिवालिये हों जो घरी न हुए हों, अर्थात्, जिन का पूरा भुगतान न हुआ हो ।

५—जो भारतीय दंड विधान के अनुसार छ मास से अधिक की कैद, या देश निकाले का दंड पाये हों, या जिन्हें फौजदारी अदालत से निर्धारित अपराध का दोषी ठहराया गया हो, या जिनको नेक चलनी की जमानत देने की आज्ञा हुई हो परन्तु जिनका यह दण्ड क्षमा न किया गया हो, या आज्ञा चापिस न ली गयी हो ।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे दोषी

व्यक्तियों को किसी समय निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

६—जिन्हें कोई कर, या पानी आदि का टैक्स, या महसूल देना बाकी है ।

नोट १—जिला-बोर्डों के लिये ऐसे व्यक्ति भी निर्वाचक नहीं हो सकते जो गत पांच वर्षों में भारतीय दंड विधान के ९-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये छ. मास से अधिक का दंड दिया जासके ।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो पाच वर्ष के अन्दर भी ऐसे दोषी व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

नोट २—अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के चुनाव के लिये भी प्रायः ऐसे ही व्यक्ति अनधिकारी माने गये हैं, जैसे युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये हम ऊपर अनधिकारी बता चुके हैं ।

तीसरा अध्याय

निर्वाचक कौन हो सकता है ?

इस अध्याय में हमें यह बताना है कि भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-घोड़ों के लिये कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। पहिले राज्य परिषद को लेते हैं।

राज्य परिषद के लिये—राज्य परिषद के निर्वाचक सभ के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं —

१—जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, * और

* इस का अभिप्राय यह है कि—

- (क) वह साधारणतया उस निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में रहता हो ।
- या (ख) उसमें उसका, या उसके कुटुम्ब के रहने का कोई मकान हो, जिसमें वह खुद भी जाकर रहता हो ।
- या (ग) उसमें उसके कुटुम्ब के रहने का मकान हो, जो उसके नौकरों के जिम्मे हो और जिसमें वह स्वयं भी कभी कभी जाकर रहता हो ।

यम्भव है कि किसी व्यक्ति के दो मकान दो पृथक

व्यक्तियों को किसी समय निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

६—जिन्हें कोई फर, या पानी आदि का टैक्स, या महसूल देना बाकी है ।

नोट १—जिला-घोड़ों के लिये ऐसे व्यक्ति भी निर्वाचक नहीं हो सकते जो गत पांच वर्षों में भारतीय दंड विधान के ९-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध के लिये दोषी ठहराये गये हों, जिसके लिये छ मास से अधिक का दंड दिया जासके ।

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहें तो पांच वर्ष के अन्दर भी ऐसे दोषी व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकार दे सकती है]

नोट २—अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-घोड़ों के चुनाव के लिये भी प्रायः ऐसे ही व्यक्ति अनधिकारी माने गये हैं, जैसे युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और जिला-घोड़ों के लिये हम ऊपर अनधिकारी बता चुके हैं ।

तीसरा अध्याय

निर्वाचक कौन हो सकता है ?

इस अध्याय में हमें यह बताना है कि निम्न निम्न व्यवस्थापक सस्यामों तथा स्थानिक निर्वाचकों को कौन कौन किये कौन कौन व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। नीचे राज्य परिषद को लेते हैं।

राज्य परिषद के लिए-राज्य विधान के निर्वाचक सभ के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक मूर्त हैं जिनका नाम देकरा सकता है -

१- जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों, * और

* इस का अर्थ यह है कि -

- (क) वह व्यवस्थापक जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के अन्दर हो।
- या (ख) राज्य विधान के अन्तर्गत निर्वाचक के रहने का क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हो, जहाँ रहता हो।
- या (ग) वह निर्वाचक जो निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर रहने का क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हो और निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर हो।

इसका अर्थ है कि -

२- (फ) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य की जमीन हो,

[युक्त प्रान्त में ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसी जमीन के मालिक हों, जिसकी वार्षिक मालगुजारी पाच हजार रु० या अधिक हो । मध्य प्रान्त में ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी वार्षिक मालगुजारी तीन हजार रु० या अधिक हो ।]

या (ख)-जो निर्धारित आय पर आय-कर देते हों,

[युक्त प्रान्त में कम से कम दस हजार रुपये की वार्षिक आय पर और मध्य प्रान्त में बीस हजार रुपये या इस से अधिक की वार्षिक आय पर आय-कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (ग)-जो किसी व्यवस्थापक संस्था के सदस्य हों, या रहे हों,

या (घ)-जो किसी स्थानीय स्वराज्य संस्था के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों,

[युक्त प्रान्त में जो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी या जिला

पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में हों, और वह कभी एक और कभी दूसरे में रहता हो । ऐसी दशा में वह व्यक्ति, निर्वाचक सूची में नाम दर्ज होने के लिये, अपनी इच्छानुसार उक्त दो निर्वाचन क्षेत्रों में से किसी एक का रहने, वाला समझा जायगा ।

बोर्ड के सभापति हों, या रहे हों, और मध्य प्रांत में जो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी या जिला-बौथिल के गैर-सरकारी सभापति हों, या रहे हों, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (च)-जो व्यक्ति किसी विश्व विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हों,

[युक्त प्रान्त और मध्य प्रांत में, जो व्यक्ति किसी विश्व विद्यालय की सीनेट या कोर्ट के सदस्य हों, वे निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (छ)-जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों,

[युक्त प्रान्त में जो व्यक्ति सहकारी बैंक के गैर-सरकारी सभापति या उप-सभापति हों, वे निर्वाचक हो सकते हैं]

या (ज)-जिसे सरकार द्वारा शमशुल-उलमा या महामहोपाध्याय की उपाधि मिली हो ।

नोट १—किसी जाति-गत निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो उसी जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक संघ है, जैसे मुसलमान निर्वाचक सभ से मुसलमान, गैर-मुसलमान निर्वाचक सभ से गैर मुसलमान, तथा सिख निर्वाचक सभ से सिख ही निर्वाचक हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ।

नोट २—युक्त प्रान्त में जो 'व्यक्ति' युक्त प्रान्तीय चेम्बर-

आफ-कामर्स के सभापति हों, या रहे हों, वे भी राज्य परिषद् के लिये निर्वाचक हो सकते हैं।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये—भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये निर्वाचक साधारण निर्वाचक संघ में होते हैं, या विशेष में। पहले साधारण निर्वाचक संघ के निर्वाचकों का विचार करते हैं।

साधारण निर्वाचक संघ में—भारतीय व्यवस्थापक सभा की साधारण निर्वाचक सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं —

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों * , और

२ (क)—जो निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन के मालिक हों,

[(अ) युक्त प्रान्त में १५० रु० या अधिक (कुमाऊ की पहाड़ी पट्टियों में २५ रु० या अधिक) वार्षिक मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। (आ) मध्य प्रान्त में ३०० रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (ख)—जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन हो,

* देखो पृष्ठ १९ के अन्त का फुट नोट.

- [युक्त प्रान्त में १५० रु० वार्षिक लगान वाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, परन्तु किसान शिकमी-दर-शिकमी न हों। मध्य प्रान्त में यह नियम है कि रायपुर, विलासपुर, दुग, चादा और बैतुल जिलों में ९० रु० या अधिक वार्षिक लगान, भडारा, चालाघाट, निमाड, छिन्दवाड़ा और सिवनी जिलों में १२० रु० या अधिक वार्षिक लगान, तथा अन्य जिलों में १५० रु० या अधिक वार्षिक लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (ग)—जो ऐसे मकान के मालिक हों, या ऐसे मकान में रहते हों, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रकम या उस से अधिक हो,

[युक्त प्रान्त में १८० रु० या अधिक, मध्यप्रान्त के नागपुर और जबलपुर शहरों में २४० रु० या अधिक, और अन्य शहरों में १८० रु० या अधिक वार्षिक किराये के मकान के मालिक, या किराये के मकान में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (घ)—जो ऐसे शहरों में, जहाँ म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देते हों,

[युक्त प्रान्त में १००० रु० की वार्षिक आय पर म्युनिसिपैलिटी को हैसियत-कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (च)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों अर्थात् जिनकी कृषि की आय के अतिरिक्त अन्य वार्षिक आय २००० रु० या इससे अधिक हो,

नोट—किसी जाति-गत निर्वाचक संघ से वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो उस जाति के हों, जिस जाति का वह निर्वाचक संघ है।

जमींदारों के विशेष निर्वाचक संघ—युक्त प्रान्त के जमींदारों के विशेष निर्वाचक संघ में भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो युक्त प्रान्त में रहने वाले हों, और जो ऐसी जमीन के मालिक हों, जिसकी वार्षिक मालगुजारी ५,००० रु० या इस से अधिक हो।

मध्य प्रान्त के जमींदारों के विशेष निर्वाचक संघ से भारतीय व्यवस्थापक सभाके लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो मध्य प्रान्त में रहने वाले हों, और जिन्हें सरकार द्वारा पुश्तैनी उपाधि प्राप्त हो, और जो जमीन के मालिक हों, या जो किसी इस्टेट के मालिक हों, या जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी ५,००० रु० वार्षिक या इससे अधिक हो।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये—भिन्न भिन्न प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये निर्वाचन सम्बन्धी

नियमों में कुछ कुछ अन्तर है। स्थानाभाव से इस अध्याय में हम केवल युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त की व्यवस्थापक परिषदों के ही निर्वाचकों की योग्यता के नियम देते हैं।

साधारण निर्वाचक संघ—मध्य प्रान्त और युक्त प्रान्त की व्यवस्थापक परिषदों के साधारण निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं,—

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र को सीमा के अन्दर रहने वाले हों * , और

२—(क) जो ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वार्षिक किराया २६ रु० या उससे अधिक हो,

या (ख)—जो ऐसे शहर में जहा पर म्युनिसिपैलिटी द्वारा हैसियत-कर लिया जाताहो, २००) रु० की वार्षिक आय पर कर देते हों,

या (ग)—जो भारत सरकार को आय-कर देते हों,

या (घ)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसका मूल्य निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[युक्त प्रान्त में, कुमाऊँ की पहाड़ी पट्टियों में जमीन के सब मालिक तथा अन्य स्थानों में २५ रु० वार्षिक मालगुजारी

वाली जमीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार या मालिक हो, जिसकी वार्षिक मालगुजारी १०० रु० से कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (घ)—जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन हो,

[यक्त प्रान्त में ५० रु० या अधिक वार्षिक लगान वाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, शर्त यह है कि कास्तदार शिकमी-दर-शिकमी न हों। मध्य प्रान्त में रायपुर विलासपुर, दुग, चादा और बैतुल जिलों में कमसे कम ३० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, भडारा, बालाघाट, निमाड़ छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में ४० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, और अन्य जिलों में ५० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (छ)—जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकरी छोड़ चुकने वाले अफसर या सिपाही हों,

या (ज)—जो मध्य प्रान्त में किसी महाल या पट्टी के नम्बरदार हों ।

नोट—किसी जाति गत निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उसी जाति के हों, जिस जाति का यह निर्वाचक सभ है ।

युक्त प्रान्त के ताल्लुकेदारों के निर्वाचक संघ में—
 इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो
 अध्यक्ष की ब्रिटिश इन्डिया एसोसिएशन के सदस्य हों ।

आगरा के जमींदारों के निर्वाचक संघ में—
 इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो इसके
 निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों, और ऐसी जमीन के मालिक
 हों, जिसकी वार्षिक मालगुजारी ५००० रु० से कम न हो ।

मध्य प्रान्त के जमींदारों के निर्वाचक संघ में—
 इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो इस के
 निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों और जिनको सरकार द्वारा कोई
 पुरस्तनी उपाधि प्राप्त हो या जो किसी इस्टेट के मालिक हों या
 जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी वार्षिक मालगुजारी
 ३,००० रु० से कम न हो ।

युक्तप्रान्त के वाणिज्य और उद्योग निर्वाचक
 संघ में—इस संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं
 जो अपर इन्डिया चेम्बर-आफ कामर्स के सदस्य हों और युक्त
 प्रान्त में व्यापार करते हों, या जो युक्तप्रान्त की चेम्बर-आफ-
 कामर्स के सदस्य हों और युक्त प्रान्त में व्यापार करते हों ।

वाली ज़मीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं। मध्य प्रान्त में जो व्यक्ति किसी ऐसी इस्टेट या महाल के ठेकेदार या मालिक हों, जिसकी वार्षिक मालगुजारी १०० रु० से कम न हो, निर्वाचक हो सकते हैं]

या (घ)—जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की जमीन हो,

[यक्त प्रान्त में ५० रु० या अधिक वार्षिक लगान वाली जमीन के अधिकारी निर्वाचक हो सकते हैं, शर्त यह है कि काश्तदार शिकमी-दर-शिकमी न हों। मध्य प्रान्त रायपुर विलासपुर, दुग, चादा और बैतुल जिलों में कमसे कम ३० रु० वार्षिक लगान या मालगुजारी, भडारा, बालाघाट, निमा छिदवाढा और सिवनी जिलों में ४० रु० वार्षिक लगान मालगुजारी, और अन्य जिलों में ५० रु० वार्षिक लगान मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (ङ)—जो भारतीय सेना के पेन्शन पाने वाले या नौकर छोड़ चुकने वाले अफसर या सिपाही हों,

या (ज)—जो मध्य प्रान्त में किसी महाल या पट्टी नम्बरदार हों ।

नोट—किसी जाति गत निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उसी जाति के हों, जिस जाति के वह निर्वाचक संघ है ।

युक्त प्रान्त के ताल्लुक़ेदारों के निर्वाचक सभ में—
इस निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो
अवध की ब्रिटिश इन्डिया एसोसियेशन के सदस्य हों।

आगरा के जमींदारों के निर्वाचक सभ में—
इस निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो इसके
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों, और ऐसी जमीन के मालिक
हों, जिसकी वार्षिक माहगुजारी ५००० ₹० से कम न हो।

मध्य प्रान्त के जमींदारों के निर्वाचक सभ में—
इस निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो इस के
निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले हों और जिनको सरकार द्वारा कोई
पुश्तैनी उपाधि प्राप्त हो या जो किसी इस्टेट के मालिक हों या
जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी वार्षिक माहगुजारी
३,००० ₹० से कम न हो।

युक्त प्रान्त के वाणिज्य और उद्योग निर्वाचक
संघ में—इस सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं
जो अपर इन्डिया चेम्बर-आफ़ कामर्स के सदस्य हों और युक्त
प्रान्त में व्यापार करते हों, या जो युक्त प्रान्त की चेम्बर-आफ़-
कामर्स के सदस्य हों और युक्त प्रान्त में व्यापार करते हों।

मध्य प्रान्त के वाणिज्य और उद्योग निर्वाचक

संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसे कारखाने के मालिक हों, जो इंडियन फ़ैक्ट्रीज-एक्ट सन् १९११ ई० के अनुसार चलाये जा रहे हों, या जिन कारखानों में दो सौ या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, या जिन में किसी कम्पनी की २५ हजार रु० या इससे अधिक की पूजी लगी हो।

मध्यप्रान्त के खाणिज निर्वाचक संघ में—इस संघ में वे ही निर्वाचक हो सकते हैं जो मध्यप्रान्त और वरार की माइनिंग एसोसियेशन के सदस्य हों।

युक्तप्रान्त के विश्व-विद्यालय निर्वाचक संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं :—

(अ) जो भारत र्प में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय के ' कोर्ट ' के सदस्य हों,

या (आ.) जो युक्तप्रान्त में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय से डाक्टर या मास्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हों या जो सात वर्ष पहिले प्रेज्युप्ट हो चुके हों।

मध्यप्रान्त के नागपुर विश्व विद्यालय निर्वाचक

सभ में—इस निर्वाचक सभ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो मध्यप्रान्त या वरार में रहने वाले हों ।

ऑर(अ)—नागपुर विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों,

या(आ)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले मध्य प्रान्त के किसी कालिज से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों,

या (इ)—जो मध्य प्रान्त के किसी कालिज से, कलकत्ता विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों

या (ई)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों,

या (उ)—जो प्रयाग विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले हुई हो,

या (ऊ)—जो कलकत्ता विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति मध्य प्रान्त का, प्रयाग विश्व विद्यालय से सम्बन्ध होने के पहिले हुई हो ।

म्युनिसिपैलिटियों के लिये—भिन्न भिन्न प्रान्तों में म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है । प्रत्येक प्रान्त की 'म्युनिसिपैलिटियों' के निर्वाचन

संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो ऐसे कारखाने के मालिक हों, जो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट सन् १९११ ई० के अनुसार चलाये जा रहे हों, या जिन कारखानों में दो सौ या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हों, या जिन में किसी कम्पनी की २५ हजार रु० या इससे अधिक की पूंजी लगी हो।

मध्यप्रान्त के खाणिज निर्वाचक संघ में—इस संघ में वे ही निर्वाचक हो सकते हैं जो मध्यप्रान्त और बरार की माइनिंग एसोसियेशन के सदस्य हों।

युक्तप्रान्त के विश्व-विद्यालय निर्वाचक संघ में—इस निर्वाचक संघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं,—

(अ) जो भारतवर्ष में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय के ' कोर्ट ' के सदस्य हों,

या (आ) जो युक्तप्रान्त में रहने वाले हों और प्रयाग विश्व विद्यालय से डाक्टर या मास्टर की उपाधि प्राप्त कर चुके हों या जो सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हो चुके हों।

मध्यप्रान्त के नागपुर विश्व विद्यालय निर्वाचक

सघ में—इस निर्वाचक सघ में वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो मध्यप्रान्त या घरार में रहने वाले हों।

बौर(अ)—नागपुर विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों,

या(आ)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के स्थापित होने के पहिले मध्य प्रान्त के किसी कालिज से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों,

या (इ)—जो मध्य प्रान्त के किसी कालिज से, कलकत्ता विश्व विद्यालय से सात वर्ष पहिले ग्रेजुएट हुए हों

या (ई)—जो नागपुर विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों,

या (उ)—जो प्रयाग विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति नागपुर विश्व विद्यालय, के स्थापित होने के पहिले हुई हो,

या (ऊ)—जो कलकत्ता विश्व विद्यालय के 'फेलो' हों और जिनकी नियुक्ति मध्य प्रान्त का, प्रयाग विश्व विद्यालय से सम्बन्ध होने के पहिले हुई हो।

म्युनिसिपैलिटियों के लिये—भिन्न भिन्न प्रान्तों में म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है। प्रत्येक प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन

सम्बन्धी (तथा अन्य) साधारण नियम कानून द्वारा निर्धारित हैं। म्युनिसिपैलिटियों को यह अधिकार है कि उन साधारण नियमों के अन्तर्गत, अपने अपने क्षेत्र के लिये कुछ व्यापार नियमों के प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार को भेज सकती हैं। प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर ये व्यापार नियम प्रचलित होजाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सब म्युनिसिपैलिटियों में साधारण नियम समान हैं, पर कुछ व्यापार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता है। स्थानाभाव के कारण हम यहाँ युक्त प्रान्त के नियमों का ही उल्लेख करते हैं।

युक्त प्रान्त में किसी म्युनिसिपैलिटी के एक निर्वाचक सभ की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:-

१—जो म्युनिसिपैलिटी को निर्धारित या उससे अधिक 'हाउस-टैक्स' (गृह-कर) आदि म्युनिसिपैलिटी पर देते हों। इस कर में चुंगी या महसूल की रकम शामिल नहीं होती,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपैलिटी पर की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है, उदाहरणार्थ बलिया म्युनिसिपैलिटी में वार्षिक ४ रु०, फैजाबाद में वार्षिक ६ रु० और मसूरी में वार्षिक २४ रु० या इससे अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या २—जो निर्वाचक सूची तैयार होने के निर्धारित दिन तक म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम बारह महीने रहे हों।

और (क)—जो किसी विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट हों,

या (ख)—जो भारत सरकार को आय कर (इन्कम टैक्स) देते हों,

या (ग)—जो म्युनिसिपैलिटी सीमा के अन्दर ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये वाले मकान के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (घ)—जो म्युनिसिपैलिटी सीमा में, ऐसे मकान में रहते हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये के मकान में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (च)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः २५ रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

सम्बन्धी (तथा अन्य) साधारण नियम कानून द्वारा निर्धारित हैं। म्युनिसिपैलिटियों को यह अधिकार है कि उन साधारण नियमों के अन्तर्गत, अपने अपने क्षेत्र के लिये कुछ व्यौरवार नियमों के प्रस्ताव प्रान्तीय सरकार को भेज सकती हैं। प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति मिल जाने पर ये व्यौरवार नियम प्रचलित होजाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त की सब म्युनिसिपैलिटियों में साधारण नियम समान हैं, पर कुछ व्यौरवार नियमों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नता है। स्थानाभाव के कारण हम यहां युक्त प्रान्त के नियमों का ही उल्लेख करते हैं।

युक्त प्रान्त में किसी म्युनिसिपैलिटी के एक निर्वाचक सभ की सूची में वे ही व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:-

१-जो म्युनिसिपैलिटी को निर्धारित या उससे अधिक 'हाउस-टैक्स' (गृह-कर) आदि म्युनिसिपेल कर देते हों। इस कर में चुगी या महसूल की रकम शामिल नहीं होती,

[भिन्न भिन्न म्युनिसिपैलिटियों में इस म्युनिसिपेल कर की मात्रा पृथक्-पृथक् निर्धारित की गयी है, उदाहरणार्थ बलिया म्युनिसिपैलिटी में वार्षिक ४ रु०, फैजाबाद में वार्षिक ६ रु० और मसूरी में वार्षिक २४ रु० या इससे अधिक कर देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या २—जो निर्वाचक सूची तैयार होने के निर्धारित दिन तक म्युनिसिपैलिटी की सीमा में कम से कम बारह महीने रहे हों।

और (क)—जो किसी विश्व विद्यालय के ग्रेजुएट हों,

या (ख)—जो भारत सरकार को आय कर (इन्कम टैक्स) देते हों,

या (ग)—जो म्युनिसिपैलिटी सीमा के अन्दर ऐसे मकान के मालिक हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये वाले मकान के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (घ)—जो म्युनिसिपैलिटी सीमा में, ऐसे मकान में रहते हों जिसका वार्षिक किराया एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः कम से कम ३६ रु० वार्षिक किराये के मकान में रहने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

या (च)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्रायः २५ रु० या अधिक वार्षिक वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (छ)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसकी मालगुजारी माफ हो, परन्तु यदि उसकी मालगुजारी देनी पड़ती तो वह निर्धारित रकम या उससे अधिक होती, या जो व्यक्ति कुमाऊ डिवीजन की पहाड़ी पट्टियों में लैकार हों,

[प्राय. २५ रु० या अधिक वार्षिक मालगुजारी वाली माफ़ी जमीन के मालिक निर्वाचक हो सकते हैं ।]

या (ज)—जो ऐसी जमीन के मालिक हों जिसका वार्षिक लगान निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[प्राय २५ रु० या अधिक वार्षिक लगान देने वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

या (झ)—जिनकी वार्षिक आय एक निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

[गिन गिन म्युनिसिपैलिटियों में इस आय की मात्रा पृथक् पृथक् निर्धारित की गयी है । उदाहरणार्थ मुन्दावन में ३६० रु० या अधिक वार्षिक, और फैजाबाद में ३०० रु० या अधिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं]

नोट—शर्त यह है कि किसी म्युनिसिपैलिटी में निर्वाचक की किसी विशेष योग्यता

परिपद के निर्वाचकों की उस विषय सम्बन्धी योग्यता से ऊँची न हो सकेगी।

ज़िला-बोर्डों के लिये—अनेक भिन्न प्रान्तों में जिला-बोर्डों के निर्वाचकों के योग्यता-सम्बन्धी नियमों में कुछ कुछ पृथक्ता है। स्थानाभाव से हम यहा युक्त प्रान्त के ही नियम देते हैं।

युक्त प्रान्त में ज़िला-बोर्डों के लिये वे ही व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं.—

- १—जो कुमाऊ की पहाड़ी पट्टियों में ज़मीन के मालिक हों और कुछ मालगुजारी देते हों,
- या २—जो, कुमाऊ की पहाड़ी पट्टियों को छोड़ कर, युक्त प्रान्त के अन्य स्थानों में, ऐसी ज़मीन के मालिक हों जिसकी वार्षिक मालगुजारी २५) ६० या इससे अधिक हो, या जो सयुक्त परिवार के ऐसे सदस्य हों जो सरकारी कारगुजों में ऐसी ज़मीन के मालिक दर्ज हों, जिसकी उनके हिस्से की वार्षिक मालगुजारी २५) ६० या इससे अधिक हो,
- या ३—जिन काश्तकारों के पास ऐसी ज़मीन हो, जिसका वार्षिक लगान २५) ६० या इससे अधिक हो,
- या ४—जो काश्तकार ऐसी ज़मीन जोतता हो, जिसका वार्षिक लगान ५०) ६० या इससे अधिक हो,

हैं कि उन्हें व्यवस्थापक संस्थाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये मताधिकार रहे।

साम्पत्तिक योग्यता—प्रायः देशों में निर्वाचकों के लिये कुछ सम्पत्ति के मालिक होना भी आवश्यक माना जाता है। साम्पत्तिक योग्यता की माप राज्य कर या टैक्स देने से की जाती है। * इस विचार से वे ही व्यक्ति व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं जो निर्धारित परिमाण में कर देते हों, इसके विपरीत जो उतना कर या टैक्स नहीं देते उन्हें प्रतिनिधि-निर्वाचन में मताधिकार नहीं होता। ऐसे नियम के होने से बहुत से नागरिक दिमागी योग्यता रखते हुए भी इस अधिकार से वंचित रहते हैं। यह बहुत अनुचित है। हमारी समझ से मताधिकार के लिये साम्पत्तिक योग्यता की फसौटी इस अर्थवाद के युग का एक अत्याचार है। जो आदमी देश हित के प्रश्नों पर भली भाँति विचार करने के योग्य है, उसे केवल निर्धारित सम्पत्ति न रखने के कारण ही, मताधिकार से वंचित न किया जाना चाहिये।

* इस की तरह में यह भाव है कि सम्पत्ति वालों से शान्ति रखने और नियम पालन की विशेष आशा होती है। इसके प्रतिकूल जो आदमी टैक्स नहीं देते, उन में नये टैक्स लगाने के समय दृष्ट विवेक रहने की सम्भावना कम है।

यदि साम्प्रतिक योग्यता की शर्त रखी ही जाय तो यह बहुत कम परिमाण में रहनी चाहिये । विशेषतया भारतवर्ष जैसे देशों में, जहाँ जन साधारण बहुत निर्धन है, निर्वाचकों के लिये कुछ विशेष सम्पत्ति की शर्त रखना, मानों बहुत से नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर देना है । उदाहरण स्वरूप वर्तमान नियमों के अनुसार ब्रिटिश भारत की २३ करोड़ जनता में केवल ७५ लाख के लगभग व्यक्ति ही निर्वाचन में मत दे सकते हैं ।

मताधिकार पर देश में विचार—मताधिकार के महत्व—पूर्ण विषय पर देश के भिन्न भिन्न नेताओं ने समय समय पर विचार किया है । स्वराज्य योजनाओं में मताधिकार पर विचार होना आवश्यक ही है । जिन स्वराज्य योजनाओं में इस विषय पर कुछ विशेष विचार प्रकट किये गये हैं उनमें से निम्न लिखित दो मुख्य हैं —

१—राष्ट्रीय फर्नैशन द्वारा तैयार किया हुआ ' कामन वेल्थ-आफ-इंडिया ' का मसविदा (Commonwealth of India Bill), यह अंगरेजी प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ कामन्स) में मजदूर दल द्वारा उपस्थित किया जा चुका है ।

२—श्री० बाबू भगवानदास जी एम ए. काशी, और स्व० देश बन्धु चित्तरञ्जन दास जी की स्वराज्य योजना । यह श्री० दास स्वराज्य योजना के नाम से प्रसिद्ध है ।

अब हम यह बतलाते हैं कि इन योजनाओं के अनुसार निर्वाचक कौन हो सकेंगे। इससे पाठकों को यह विचार करने का अवसर मिलेगा कि प्रस्तावित योजनाओं में कौन कौन सी बात अच्छी और ब्राह्म हैं।

कामनवेल्थ-आफ-इंडिया का मसविदा-इस योजना के अनुसार भारतीय राज्य परिषद् का निर्वाचन करने के लिये प्रत्येक प्रान्त के निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

(क) जो प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य हों, या इन परिषदों अथवा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्य रह चुके हों,

या (ख) जो विश्व विद्यालयों के ऐसे ग्रेजुएट हों, जिन्हें बी ए. पास किये कम से कम सात वर्ष हो गये हों।

इस निर्वाचन के लिये प्रत्येक प्रान्त एक निर्वाचक संघ माना जाना जायगा और स्थानानुसार प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचन होगा। उदाहरणवत् यदि एक करोड़ जन संख्या वाले प्रान्त के दो प्रतिनिधि हों, तो पांच करोड़ जन संख्या वाले प्रान्त के दस प्रतिनिधि रहेंगे, पर उनका निर्वाचक संघ एक ही होगा।

भारतीय व्यवस्थापक समा के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये निम्न प्रान्तों के २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

- (क) - जो व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य हों, या रह चुके हों,
- (ख) - जो बी ए तक या इस के समान, साधारण या औद्योगिक, शिक्षा प्राप्त कर चुके हों,
- (ग) - जिन्हें मासिक ५० रु० या इससे अधिक आय अथवा भत्ता, आदि मिलता हो,
- (घ) - जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों जिस का वार्षिक लगान ५० रु० या इससे अधिक हो,
- (च) - जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों जिस का साहाना किराया ७५ रु० या इस से अधिक हो ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन करने के लिये २१ वर्ष या इस से अधिक आयु के निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

- (क) - जो म्युनिसिपैलिटियों, जिला-बोर्डों और व्यवस्थापक संस्थाओं के सदस्य हों या रह चुके हों,

- या (ख) जो पेट्रोल या इसके समान साधारण या औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हों,
- या (ग) जिन्हें मासिक २५ रु० या इस से अधिक आय अथवा भत्ता आदि मिलता हो,
- या (घ) जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों जिसका वार्षिक लगान ३० रु० या इससे अधिक हो,
- या (च) जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों, जिसका सालाना किराया ५० रु० या इससे अधिक हो,
- या (छ) जो मजदूर संघ, व्यापारियों या सौदागरों की सभा अथवा अन्य ऐसी संस्थाओं के सदस्य हों।

म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये उनकी सीमा में रहने वाले २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे —

- (क) - जिन्होंने प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की हो,
- या (ख) - जिन्हें मासिक १५ रु० या इस से अधिक आय या भत्ता आदि मिलता हो,
- या (ग) - जो ऐसी जमीन के मालिक या अधिकारी हों, जिसका वार्षिक लगान २० रु० या इससे अधिक हो,

या (घ)-जो ऐसे मकान के मालिक या अधिकारी हों जिसका वार्षिक किराया १८ रु० या इससे अधिक हो,

या (च)-जो तालुका-बोर्ड या पंचायत के सदस्य हों, या रह चुके हों ।

[तालुका बोर्ड के सदस्य २१ वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति हों सकेगे, जो प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर चुके हों, या एक वर्ष तक पंचायत के सदस्य रह चुके हों । पंचायत का सदस्य कोई भी निर्वाचक हो सकता है ।]

श्री० दास स्वराज्य योजना; अप्रत्यक्ष निर्वाचन-

आज कल प्रायः प्रजा स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती है, परन्तु कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्वाचन भीवा न होकर, प्रजा की किसी प्रतिनिधि-संस्था द्वारा किया जाता है । उदाहरणार्थ भारतवर्ष में वर्तमान सुधारों से पहिले प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन म्युनिसिपैल बोर्ड और जिला-बोर्डों द्वारा, तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों द्वारा होता था ।

श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार भारतीय व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिये प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्य निर्वाचक हो सकेंगे, प्रान्तीय

व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये जिला-पंचायतों के सदस्य निर्वाचक हो सकेंगे, और जिला पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये स्थानीय पंचायतों के सदस्य निर्वाचक हो सकेंगे। इस प्रकार यह सब निर्वाचन तो अप्रत्यक्ष ही रहेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन केवल नगरों और ग्रामों की पंचायतों के सदस्यों के लिये ही होगा। और, इन सस्थाओं के लिये वे व्यक्ति निर्वाचक हो सकेंगे जो भारत वर्ष में कम से कम सात वर्ष रह चुके हों, और जो २५ वर्ष या इस से अधिक आयु के हों। *

इस प्रकार के अप्रत्यक्ष निर्वाचन में यह सुभीता है कि प्रजा को धार धार निर्वाचन के क्षण में प्रस्त होना नहीं पड़ता, तथा मध्यस्थ सस्था के सदस्य साधारण प्रजा की अपेक्षा अधिक योग्य होते हैं और वे विशेष रूप से सोच समझ कर अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

परन्तु इस प्रथा में बड़ा भारी दोष यह है कि साधारण निर्वाचक और प्रतिनिधि में कुछ सीधा सम्बन्ध नहीं रहता। फलतः जनता उदासीन रहती है और उसे यथेष्ट राजनैतिक शिक्षा नहीं मिलती। जब किसी नागरिक

* स्त्रियों के मताधिकार पा सकने के लिये कम से कम निर्धारित आयु २१ वर्ष की रखी गयी है।

को बड़ी बड़ी सभाओं के लिये भी प्रतिनिधि चुनने होते हैं तो उसे अपने उत्तरदायित्व का विशेष ज्ञान होता है, परन्तु बीच में किसी अन्य मस्था के पड़ जाने से यह बात नहीं होने पाती। इस लिये प्रतिनिधियों का सीधा, प्रजा द्वारा, निर्वाचन ही उत्तम है।

पाँचवाँ अध्याय

कोई व्यक्ति निर्वाचक कैसे हो सकता है ?



*"I take my stand upon the broad principle that the enfranchisement of capable citizens, be they few or be they many—and if they be many so much the better—is an addition to the strength of the State,"**

W E Gladstone

पिछले अध्यायों में हम यह बात चुके हैं कि भारतवर्ष की भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-घोड़ों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये निर्वाचक फौन होसकता है और किसे होना चाहिये। अब हम यहाँ यह बतलाते हैं कि वर्तमान नियमों के अनुसार कोई मताधिकारी अपने इस निर्वाचन-अधिकार का किस प्रकार उपयोग कर सकता है।

निर्वाचक सूची—प्रत्येक निर्वाचक संघ के लिये एक

भावार्थ—मेरा तो मोटा सिद्धान्त यह है कि नागरिकों का मताधिकार, चाहे वे नागरिक कम हों या ज्यादा—वे ज्यादा हों तो और अच्छा है—राज्य की शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। —ग्लेडस्टन

एक निर्वाचक सूची समय-समय पर, साधारणतः चुनाव से तीन चार महीने पहिले, तैयार की जाती है। इसके लिये खाम अफसर नियुक्त किये जाते हैं। वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर ऐसे व्यक्तियों का नाम जानने का प्रयत्न करते हैं जो उस निर्वाचक सभ के निर्वाचक हो सकते हों और जिन में दूसरे अध्याय में बताई हुई अयोग्यतायें न हों।

म्युनिसिपैलिटियों की निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में यह नियम है कि यदि एक म्युनिसिपैलिटी निर्वाचन कार्य के लिये घाड़ों (Wards) या हलकों में विभक्त हो तो प्रत्येक घाड़ की पृथक् पृथक्, एक एक या अधिक अधिक निर्वाचक सूची या निर्वाचक सूचिया तैयार की जाती हैं। कोई आदमी अपना नाम एक से अधिक निर्वाचक सूची में दर्ज नहीं कर सकता। जिन आदमियों का नाम एक घाड़ की निर्वाचक सूची में दर्ज होता है, वे ही उस घाड़ के उम्मेदवार के लिये अपना मत दे सकते हैं।

जिला-घोड़ों की निर्वाचक सूची के सम्बन्ध में यह नियम है कि कोई व्यक्ति एक ही जिले में, एक से अधिक निर्वाचक सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकता, चाहे उसे उस जिले में एक से अधिक सर्कलों (Circles) या हलकों में मत देने की योग्यतायें प्राप्त क्यों न हों। सर्कल या हलके जिले की तहसीलों के वे भाग होते हैं, जिनमें निर्वाचन कार्य के लिये

तहसील विभक्त की जाती है। प्रत्येक तहसील में उतने हलकें रखे जाते हैं, जितने सदस्य उस तहसील के साधारण निर्वाचक संघ से निर्वाचित करने होते हैं।

निर्वाचकों के ध्यान देने की बात—प्रायः यह देखा गया है कि भारतीय जनता अपने मताधिकार के महत्व को अच्छी तरह नहीं समझती। अधिकांश पढ़े लिखे व्यक्ति भी यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि उन्हें वर्तमान नियमों के अनुसार किसी व्यवस्थापक संस्था, अथवा म्युनिसिपैलिटी या जिला-बोर्ड के निर्वाचन में मताधिकार प्राप्त हो सकता है या नहीं। जो थोड़े बहुत व्यक्ति यह जानते भी हों कि उन्हें निर्वाचन अधिकार प्राप्त हो सकता है, वे निर्वाचक सूची प्रथम बार प्रकाशित होने पर निर्धारित समय के अन्दर यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि उनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज कर लिया गया है, या नहीं। इस प्रकार बहुत से व्यक्ति निर्वाचक की योग्यता रखते हुए भी निर्वाचन के अधिकार से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि निर्वाचन के समय वे ही मत दे सकते हैं, जिन का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो।

हम पाठकों से अनुरोध करते हैं कि यदि वे किसी व्यवस्थापक संस्था, म्युनिसिपैलिटी या जिला-बोर्ड के निर्वाचक हो सकते हों, और यदि उनका नाम प्रथम निर्वाचक सूची में दर्ज न किया गया हो तो वे प्रथम निर्वाचक सूची

के प्रकाशित होने से निर्धारित समय के अन्दर, दख्खान्त देकर अपना नाम निर्वाचक सूची में दर्ज करा लें।

सशोधित निर्वाचक सूची—प्रथम निर्वाचक सूची, तैयार होने पर, प्रकाशित की जाती है। यह प्रायः अपूर्ण रहती है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम इस सूची में न दर्ज किया गया हो, जिसे निर्वाचन का अधिकार है, तो वह अपना नाम निर्वाचक सूची में, निर्धारित समय के अन्दर, दख्खान्त देकर दर्ज करा सकता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम उस सूची में दर्ज हो गया है जिसे नियमों के अनुसार उस संघ का निर्वाचन अधिकार प्राप्त न हो, या जिसमें दूसरे अध्याय में बतायी हुई अयोग्यतायें हों, तो ऐसे व्यक्ति का नाम निर्धारित समय के अन्दर दख्खान्त दिये जाने पर निर्वाचक सूची से निकाला जा सकता है। यह दख्खान्त वे ही व्यक्ति दे सकते हैं जिनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो।

निर्धारित समय के पश्चात् सशोधित निर्वाचक सूची प्रकाशित की जाती है, इस में जिन व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं, वे ही निर्वाचन के समय अपना मत दे सकते हैं। निर्वाचक सूची में प्रत्येक निर्वाचक का नम्बर, नाम, उस के पिता का नाम, और पता रहता है। निर्वाचकों को अपना नम्बर याद रहने से मत देने में सुभीता रहता है।

छटा अध्याय

उम्मेदवार कौन हो सकता है ?

"The strength of the modern state lies in its representative system"

—W E Gladstone.

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—किसी व्यवस्थापक संस्था के लिये वे ही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं जिनका नाम किसी निर्वाचक सभ की सूची में दर्ज हो, बशर्ते कि —

१—वे स्त्रिया न हों,

[व्यवस्थापक संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे प्रस्ताव पास करके स्त्रियों को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती हैं । अभी तक वर्मा के अतिरिक्त और किसी प्रान्त में स्त्रियों को उम्मेदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।]

* साधार्थ—आधुनिक राज्यों की शक्ति का आधार उन की प्रतापिधि प्रणाली है।

—ग्लैडस्टन

या २—वे किसी व्यवस्थापक सस्था के सदस्य न हों ।

[किसी व्यवस्थापक परिषद का सदस्य भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद के लिये उम्मेदवार हो सकता है । भारतीय व्यवस्थापक सभा का सदस्य राज्य परिषद के लिये, और राज्य परिषद का सदस्य भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये उम्मेदवार हो सकता है । परन्तु भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य परिषद का सदस्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद के लिये उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न किसी एक प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद का सदस्य किसी दूसरे प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद के लिये उम्मेदवार हो सकता है]

या ३—वे ऐसे वकील न हों जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों ।

[यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ४—वे ऐसे दिवालिये न हों जो घरी न किये गये हों, अर्थात् जिनका पूरा भुगतान न हुआ हो ।

या ५—उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो ।

या ६—वे ऐसे व्यक्ति न हों जिनको किसी फौजदारी अदालत द्वारा एक वर्ष से अधिक दंड, या देश निकाला दिया गया हो ।

[दंड समाप्त होने के पाच वर्ष बाद ऐसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं । यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति को पाच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ७—वे सरकारी नौकर न हों ।

[सरकारी नौकर उच्च व्यक्ति को कहते हैं जो सरकारी सिविल या सेना विभाग में पूरे समय (Whole-time) नौकर हो और जिसे सरकार से वेतन या फीस मिलती हो ।]

कोई व्यक्ति किस निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है ?—सब व्यवस्थापक सस्थाओं के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी निर्वाचक संघ से जो उम्मेदवार हो, उसका नाम उसी संघ की निर्वाचक सूचि में दर्ज हो । इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सस्थाओं के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है । कुछ प्रधान व्यवस्थापक सस्थाओं के इस विषय के नियम हम नीचे देते हैं.—

राज्य परिषद् के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, साधारण निर्वाचक संघ से कोई भी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उसी प्रान्त की किसी भी साधारण निर्वाचक संघ की सशोचित निर्वाचक सूची में दर्ज हो ।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उसी प्रान्त के साधारण निर्वाचक संघ की संशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो। परन्तु मुसलमान, किसी अन्य जाति-गत (जैसे गैर-मुसलमान, योरोपियन या सिय) निर्वाचक संघ से उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न कोई गैर-मुसलमान ही किसी अन्य जाति-गत निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है।

युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उस प्रान्त के किसी साधारण निर्वाचक संघ की संशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो।

मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है, जिस का नाम उस प्रान्त 'की किसी भी' साधारण निर्वाचक संघ की निर्वाचक सूची में दर्ज हो और जो उस जिले में, जिस के निर्वाचक संघ से वह उम्मेदवार हो रहा है, कम से कम वर्ष में १८० दिन रहा हो।

[दंड समाप्त होने के पांच वर्ष बाद ऐसे दोषी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं । यदि भारत सरकार या कोई प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे किसी व्यक्ति को पांच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ७—वे सरकारी नौकर न हों ।

[सरकारी नौकर उच्च व्यक्ति को कहते हैं जो सरकारी सिविल या सेना विभाग में पूरे समय (Whole-time) नौकर हो और जिसे सरकार से वेतन या फीस मिलती हो ।]

कोई व्यक्ति किस निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है ?—सब व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये यह आवश्यक नहीं है कि किसी निर्वाचक संघ से जो उम्मेदवार हो, उसका नाम उसी संघ की निर्वाचक सूची में दर्ज हो । इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं के नियमों में कुछ कुछ भिन्नता है । कुछ प्रधान व्यवस्थापक संस्थाओं के इस विषय के नियम हम नीचे देते हैं —

राज्य परिषद के लिये, युक्त प्रांत और मध्य प्रांत में, साधारण निर्वाचक संघ से कोई भी व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उसी प्रांत की किसी भी साधारण निर्वाचक संघ की संशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो ।

भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये, युक्त प्रान्त और मध्य प्रान्त में, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक सघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उसी प्रान्त के साधारण निर्वाचक सघ की सशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो। परन्तु मुसलमान, किसी अन्य जाति-गत (जैसे गैर-मुसलमान, योरोपियन या सिख) निर्वाचक सघ से उम्मेदवार नहीं हो सकता, और न कोई गैर-मुसलमान ही किसी अन्य जाति-गत निर्वाचक सघ से उम्मेदवार हो सकता है।

युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये, ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक सघ से उम्मेदवार हो सकता है जिस का नाम उस प्रान्त के किसी साधारण निर्वाचक सघ की सशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो।

मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये ऐसा कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचक सघ से उम्मेदवार हो सकता है, जिस का नाम उस प्रान्त की किसी भी साधारण निर्वाचक सघ की निर्वाचक सूची में दर्ज हो और जो उस जिले में, जिस के निर्वाचक सघ से वह उम्मेदवार हो रहा है, कम से कम वर्ष में १८० दिन रहा हो।

मुसलमान, गैर-मुसलमान निर्वाचक सघ से उम्मेदवार

नहीं हो सकता, और न गैर-मुसलमान, मुसलमान निर्वाचक संघ से उम्मेदवार हो सकता है।

युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के लिये—
युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों के लिये वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं, जिनका नाम निर्वाचक सूची में दर्ज हो, यशतकि

१—वे सरकारी नौकरी से अव्यस्त किये जाकर, उसके लिये अयोग्य न ठहरा दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो नौकरी से बर्खास्त किये हुए किसी व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या २—वे ऐसे वकील न हों जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित कर दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा वकालत करने के अधिकार से वंचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है।]

या ३—वे म्युनिसिपैलिटी के नौकर या ठेकेदार आदि न हों।

या ४—वे म्युनिसिपैल निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के दोषी न ठहराये गये हों,

[दोषी ठहराये जाने के पांच वर्षों बाद ऐसे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं ।]

या ५—वे अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा किसी म्युनिसिपैलिटी की सदस्यता (मेम्बरी) से पृथक् न कर दिये गये हों,

[पृथक् किये जाने के तीन वर्षों बाद ऐसे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं ।]

या ६—वे वेतन पाने वाले मैजिस्ट्रेट या पुलिस भफसर न हों,

या ७—वे अगरेज़ी भाषा या अपने प्रान्त की कम से कम एक देशी भाषा लिख पढ़ न सकने हों,

युक्त प्रान्त के जिला-बोर्डों के लिये—युक्त-प्रान्त के किसी जिला-बोर्ड के निर्वाचक मध्य से वे ही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं जिन का नाम सशोधित निर्वाचक सूची में दर्ज हो, यशर्त कि —

१—वे सरकारी नौकरी से वर्ज़ास्त किये जाकर, उसके लिये अयोग्य न ठहरा दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे वर्ज़ास्त किये हुए व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या २—वेसे चकौल न हों जो किसी न्यायालय द्वारा चकालत करने के अधिकार से वर्चित कर दिये गये हों,

[यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो न्यायालय द्वारा वकाएत के अधिकार से यचित, किसी वकील को उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ३—वे जिला-बोर्ड के नौकर या ठेकेदार आदि न हों,

या ४—वे जिला बोर्ड के निर्वाचन के समय किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के दोषी न ठहराये गये हों,

[दोषी ठहराये जाने के पाच वर्ष बाद ऐसे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकते हैं । यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो ऐसे दोषी व्यक्ति को पाच वर्ष के अन्दर भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकती है ।]

या ५—वे अपने अधिकार के दुरुपयोग के कारण सरकार द्वारा किसी जिला-बोर्ड की सदस्यता से, पृथक् न कर दिये गये हों,

[जब तक प्रान्तीय सरकार ऐसे व्यक्ति को उम्मेदवार होने का अधिकार न दे, वह व्यक्ति उम्मेदवार न हो सकेगा ।]

या ६—वे सरकारी नौकर न हों,

या ७—वे प्रत्यक्ष अथवा गौण रूप से, पूर्णतया या अंशतः जिला-बोर्ड के किसी ठेके के काम में भाग न लेते हों,

या ८—वे ऐसे व्यक्ति न हों, जो अंगरेज़ी, हिन्दी या उर्दू लिख पढ़ न सकते हों,

[यदि डिवीजन का कमिश्नर चाहे तो अपद व्यक्ति को भी उम्मेदवार होने का अधिकार दे सकता है ।]

नोट—युक्त प्रान्त में म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचक सभ से कोई व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, यदि उसका नाम उस शहर या जिले की किसी भी निर्वाचक सूची में दर्ज हो । उदाहरणार्थ यदि लखनऊ में किसी व्यक्ति का नाम गणेशगज घाट की निर्वाचक सूची में दर्ज हो, और यदि उसमें उम्मेदवार होने की कोई अयोग्यता न हो तो वह लखनऊ शहर के किसी भी निर्वाचक सभ से उम्मेदवार हो सकता है

सातवाँ अध्याय

उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?

“उत्तरदायी शासन की सफलता, प्रतिनिधियों की योग्यता पर निर्भर है।” —लेखक

उम्मेदवार किसे होना चाहिये ?—निर्वाचकों की भांति किसी व्यवस्थापक सस्था अथवा म्युनिसिपलिटि या जिला-बोर्ड के लिये उम्मेदवार भी अथवा सम्भव नागरिक और गैर-सरकारी व्यक्ति ही होने चाहिये। विदेशियों (अ-नागरिकों) तथा सरकारी आदमियों से प्रायः जनता की उत्तरी हितपिता की भाशा नहीं की जा सकती।

कुछ देशों में उम्मेदवार के पास कुछ सम्पत्ति होना, भी आवश्यक समझा जाता है। इसके पक्ष में यह कहा जाता है कि निज की सम्पत्ति होने से उन्हें आर्थिक घातों का अधिक ज्ञान, तथा स्वार्थवश देश रक्षा की अधिक चिन्ता रहेगी। परन्तु इस कथन में कुछ सार नहीं। यहूदा अपने परिश्रम से जीवन संग्राम की कठिन-इयों की सामना करने वालों में,

धनिकों की अपेक्षा अनुभव और ज्ञान विशेष पाया जाता है। रही, देश रक्षा आदि की बात, सो धनिकों ने ही उसका पट्टा नहीं लिखा लिया है, साधारण भेणी के आदमी भी वैसे ही, तथा उनसे भी अधिक, देश प्रेमी हो सकते हैं।

स्त्रियों को प्रतिनिधि बनाने की व्यवस्था अभी बहुत कम है। भारतवर्ष में अब इस विषय की प्रधान कानूनी रुकावट टूट गयी है। आशा है इस सम्बन्ध में क्रमशः अधिकाधिक उदारता से काम लिया जायगा।

विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि उम्मेदवार निर्धारित आयु से अधिक के, बहुत ही गम्भीर, योग्य और अनुभवी होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति हों जो लोभ रहित, और निसस्वार्थ भाव से काम कर सकें। अब हम पाठकों के चारा ध पइले यह बतलाते हैं कि कामनवेलथ-आफ-इंडिया के मसविदे में इस विषय के क्या क्या नियम रखे गये हैं।

कामनवेलथ-आफ-इंडिया के मसविदे के अनुसार—राज्य परिषद् के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकेंगे जो भारतीय व्यवस्थापक समा के सदस्य हो सकते हों, तथा तीस वर्ष से कम आयु के न हों।

भारतीय व्यवस्थापक समा के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार

हो सकेंगे जो पच्चीस वर्ष से कम आयु के न हों और जिन में निम्न लिखित कोई एक योग्यता हो —

१—ती ए. तक शिक्षा-प्राप्त होना, अथवा हाई स्कूल परीक्षा के बाद ट्रेनिंग का डिप्लोमा पाना, या इसके समान साधारण या औद्योगिक शिक्षा प्राप्त कर लेना ।

या २—प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के एक साल सदस्य रहना ।

या ३—चेम्बर-आफ-कामर्स, जमीन्दार एसोसियेशन, आदि संस्था के सदस्य होना ।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकेंगे जो पच्चीस वर्ष से कम आयु के न हों तथा जिन में निम्न लिखित कोई एक योग्यता हो.—

१—हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समान साधारण या औद्योगिक शिक्षा पाना,

या २—जिला-बोर्ड या म्युनिसिपैल बोर्ड के तीन साल सदस्य रहना,

या ३—चेम्बर-आफ-कामर्स, जमीन्दार एसोसियेशन आदि संस्था के सदस्य होना ।

जिला-बोर्ड या म्युनिसिपैल बोर्ड के लिये, वे व्यक्ति उम्मेदवार हो सकेंगे जो पच्चीस वर्ष से कम आयु के न हों, और जिनमें निम्नलिखित कोई एक योग्यता हो —

१-मिडल क्लास तक की शिक्षा पाना,

या २-ग्राम पंचायत या नगर पंचायत के तीन साल तक सदस्य रह चुकना ।

श्री० दास योजना के अनुसार—भव श्री० दास योजना के नियमों पर विचार करते हैं । इसके अनुसार भारतीय, प्रान्तीय, ज़िले की, नगर की, या ग्राम की पंचायतों के सदस्य देश के स्थायी निवासी ही होंगे । इनमें जाति, वर्म, रंग आदि का लिहाज न किया जायगा । ये चालीस वर्ष से कम आयु के न होंगे । वे ही व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे जिन्होंने किसी क्षेत्र में, जनता के हित का कुछ उत्तम कार्य किया हो । ग्राम निवासी व्यक्ति भी, शिक्षित होने की दशा में ही सदस्य हो सकेंगे, नगर निवासियों में शिक्षा सम्बन्धी अधिक योग्यता की आवश्यकता होगी । भारतीय या प्रान्तीय पंचायतों के सदस्य बनने वालों में विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी ।

इस योजना के अनुसार वे ही व्यक्ति सदस्य हो सकेंगे

जिनमें सांसारिक प्रतिस्पर्धा या रुपये कमाने की वासना न हो, जो अपनी बचत के रुपये पर निर्वाह करने वाले हों, या जिनको अपने मित्रों या कुटुम्बियों द्वारा अपनी सय आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा हो, और जो सब समय राष्ट्रीय कार्य कर सकें, सो भी अवैतनिक । *

यह योजना भारतीय सम्यता और संस्कृति के बहुत अनुकूल है । अत एव यदि इसे आवश्यक उपनियमों सहित कानून का स्वरूप मिलजाय तो व्यवस्था कार्य (और उसके परिणामरूप, शासन कार्य) बहुत उत्तम रीति से होने लगे । हम चाहते हैं कि देशोद्धार प्रेमी राजनीतिज्ञ इस पर भली माति विचार करें । इस योजना में दर्शायी हुई सिद्धान्त की मुख्य मुख्य बातें मानने में किसी विचार शील पाठक को आपत्ति न होगी । यदि इसके व्यवहार में कुछ कठिनाइया उपस्थित हों तो वे क्रमशः अनुभव के पश्चात् दूर की जा सकेंगी ।

* इस योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि भिन्न, भिन्न पक्षाओं के सदस्यों का पद, वैतनिक कार्य कर्ताओं के पद से ऊंचा माना जाय ।

आठवाँ अध्याय

कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है ?

पिछले दो अध्यायों में हम यह बतला चुके हैं कि उम्मेदवार कौन हो सकता है, तथा किसे होना चाहिये। अब इस अध्याय में हम यह बतलाते हैं कि किसी व्यक्ति को उम्मेदवार होने के लिये, वर्तमान नियमों के अनुसार, क्या कार्य करना चाहिये।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र-व्यवस्थापक संस्थाओं के चुनाव के पहिले प्रान्तीय सरकार एक विज्ञप्ति निकाल कर निश्चय करती है, कि अमुक दिन तक कोई निर्वाचक किसी व्यक्ति के उम्मेदवार होने का प्रस्ताव, एक निर्धारित फार्म पर लिख कर दे सकता है। इस प्रस्ताव का एक अन्य निर्वाचक द्वारा समर्थन होना आवश्यक है। जो व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहता है, उसकी लिखित अनुमति भी उसमें रश्नी चाहिये। जिस फार्म पर पर यह प्रस्ताव किया जाता है, उसे बड़ी सावधानी से भरा जाना चाहिये। उस में कुछ गलती होने पर वह, नामसूची-

अफसर अर्थात् नोमिनेशन आफिसर (Nomination Officer) द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है।

जो व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहें, उन्हें चाहिये कि प्रस्ताव-पत्र की एक ही फार्म भर कर सतुष्ट न रहें, वरन् भिन्न भिन्न निर्वाचकों द्वारा भरे हुए कई फार्म भिजवा दें, जिससे कुछ फार्म अस्वीकृत होने पर भी कम से कम एक तो स्वीकृत हो सके। स्मरण रहे कि एक ही व्यक्ति कई निर्वाचक संघों से भी उम्मेदवार हो सकता है।

उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र नामजदगी-अफसर द्वारा, एक निर्धारित दिन के ग्यारह बजे से तीन बजे तक, लिये जाते हैं। जो प्रस्ताव-पत्र अंतिम निर्धारित दिन के तीन बजे से पहिले नहीं दिये जाते, वे अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। इस लिये उम्मेदवार होने वालों को ये प्रस्ताव-पत्र उक्त समय से पूर्व ही भिजवा देने की पूरी व्यवस्था कर देनी चाहिये।

उम्मेदवार का एजेंट—उम्मेदवार को यह लिखित सूचना देनी होती है कि वह किसे अपना निर्वाचन-एजेंट नियत करता है, या वह स्वयं ही एजेंट के काम को करना स्वीकार करता है। *

* म्युनिसिपैलिटियों के उम्मेदवार प्रायः एक रुपये का स्टाम्प लिपिकर, अपनी ओर से एक एजेंट नियत कर सकते हैं।

निम्न लिखित व्यक्ति निर्वाचन एजेंट नहीं हो सकते:—

१-जो भारतीय दंड विधान के ९-अ अध्याय के अनुसार किसी ऐसे अपराध में दंडित किये गये हैं, जिसका दंड छ मास से अधिक हो,

या २-जो किसी निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिये दोषी ठहराये गये हों,

या ३-जिन्होंने किसी व्यवस्थापक सस्या का उम्मेदवार होकर, निर्वाचन खर्च का झूठा हिसाब दिया हो, अथवा हिसाब न दिया हो।

[दोरी ठहराये जाने के पांच वर्षों बाद ये व्यक्ति निर्वाचन एजेंट बनाये जा सकते हैं।]

उम्मेदवार की जमानत—जो व्यक्ति किसी निर्वाचक संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे राज्य परिषद् और भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये ५०० रु०, तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के लिये २५० रु० जमानत के रूप में, निर्धारित समय के अन्दर जमा करने होते हैं। यदि वह ऐसा न करे तो उसके उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र पर कुछ विचार नहीं किया जाता, वह अस्वीकार कर दिया जाता है।

प्रान्तीय सरकार उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्रों की जांच करने के लिये एक दिन निश्चय करती है और इन दिनों की

सूचना उम्मेदवार होने वाले व्यक्तियों को दी जाती है । यदि कोई व्यक्ति चाहें तो इस जांच के दिन के बाद दूसरे दिन, तीन वजे तक अपनी उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र वापिस ले सकता है । इस दशा में उसे जमानत के रुपये वापिस मिलजाते हैं ।

उम्मेदवार होने का घोषणा—एक निर्धारित दिन उम्मेदवार होने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में, उनके प्रस्ताव पत्रों की जांच, नामजदगी अफसर द्वारा, की जाती है । जिन प्रस्ताव पत्रों में कुछ गलतियाँ पाई जाती हैं, वे अस्वीकार कर दिये जाते हैं, और जिन व्यक्तियों के प्रस्ताव-पत्र ठीक पाये जाते हैं उनके उम्मेदवार होने की घोषणा करदी जाती है ।

म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये उम्मेदवारी का प्रस्ताव-पत्र—भिन्न भिन्न प्रान्तों के, म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र सम्बन्धी-नियमों में-कुछ भिन्नता है । हम युक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों के इस विषय के नियम नीचे देते हैं, जिला-बोर्डों के नियम भी प्रायः ऐसे ही हैं । इससे पाठकों को मुख्य बातों का ज्ञान हो जायगा ।

जो व्यक्ति—निर्वाचक—उम्मेदवारों में नाम दर्ज कराना चाहता है, उसे एक निर्धारित समय-तक, नामजदगी अफसर को, उम्मेदवारी के पत्रों के लिये दस्तावेज-देना, होती

है। उस दरखास्त में यह लिखना होता है कि वह किस निर्वाचक सघ से, और अगर घाड़ें हों तो किस घाड़ें से; निर्वाचित होना चाहता है। दरखास्त के साथ ५० स० की जमानत जमा की जाती है।

न्युनिसिपैलिटी द्वारा निर्धारित दिन और समय पर, उक्त दरखास्त देने वाले व्यक्ति के प्रस्तावक और समर्थक को न्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में नामजदगी-अफसर के सामने उपस्थित होना चाहिये *। प्रस्तावक को अपने साथ दरखास्त देने वाला व्यक्ति लाना चाहिये या, उसकी ओर से उम्मेदवार होने की लिखित अनुमति लानी चाहिये। नामजदगी-अफसर प्रस्तावक, समर्थक और उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति की शान्द के विषय में आवश्यक जांच करता है। यदि उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति की लिखित अनुमति हो तो वह उस क प्रामाणिक होने के विषय में भी जांच करता है। यदि उसे सन्तोष हो जाय कि उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति का नाम निर्वाचक सूची में दर्ज है, और वह उम्मेदवार होने में सहमत है, और उस के प्रस्तावक और समर्थक के नाम उस घाड़ें या श्रेणी की निर्वाचक सूची में दर्ज हैं, जिस से उम्मेदवार होने वाला व्यक्ति उम्मेदवार होना चाहता है, और जमानत नियमानुसार जमा करा दी गयी है, तो वह उम्मेदवारी

* प्रस्तावक और समर्थक दोनों निर्वाचकों में से ही होने चाहियें।

के प्रस्ताव-पत्र की खाने पूरी करता है और उस पर प्रस्तावक, समर्थक, और, यदि उपस्थित हो तो, उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर करा लेता है अथवा अंगूठे के निशान लगवा लेता है। तत्पश्चात् वह उम्मेदवार होने वाले व्यक्ति के उम्मेदवार होजाने की सूचना दे देता है।

यदि नामजदगी-अफसर पूर्वोक्त विषयों के सम्बन्ध में संतुष्ट न हो तो वह प्रस्ताव-पत्र की खाने पूरी नहीं करता, और, ऐसा न करने के कारणों को वह प्रस्ताव-पत्र के लिये आयी हुई दर्यास्त पर, सक्षेप में, लिख देता है। ऐसी दशा में, जमा की हुई जमानत वापिस कर दी जाती है।

प्रस्ताव पत्रों के भरे जाने के बाद, यथा शक्ति शीघ्र ही उम्मेदवार होजाने वाले व्यक्तियों को, उनके उम्मेदवार होजाने की सूचना दे दी जाती है और उम्मेदवारों की सूची बनाली जाती है।

कोई व्यक्ति चाहे तो सेक्रेटरी या निर्वाचन अफसर को लिखित सूचना देकर अपना नाम उम्मेदवारी से हटा सकता है। यदि यह कार्य उम्मेदवारों के प्रस्ताव पत्र भरे जाने की तारीख से दस दिन के भीतर किया जाय, तो जमानत की रकम वापिस कर दी जाती है।

नोट १-व्यवस्थापक सस्याओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और

जिला-बोर्डों में जो उम्मेदवार निर्वाचित नहीं होते, यदि उन के लिये, निर्वाचकों के कुल प्राप्त मतों के, भाठवें हिस्से के मतों से कम भावें तो उन की जमानत जप्त हो जाती है ।

नोट २-यदि किसी निर्वाचक सघ के उम्मेदवारों की सरया उतनी ही हो जितने उसके प्रतिनिधि भेजे जा सकते हैं या जितने प्रतिनिधियों के लिये जगह खाली हो, तो वे सब उम्मेदवार उस निर्वाचक सघ के निर्वाचित सदस्य, अर्थात् प्रतिनिधि समझे जाते हैं, और उस निर्वाचक सघ के निर्वाचकों को अपना मत देने की आवश्यकता नहीं रहती ।

यदि उम्मेदवारों की सरया उस निर्वाचक सघ के अभीष्ट प्रतिनिधियों की सरया से अधिक हो, तो प्रान्तीय सरकार से निर्धारित क्रिये हुए दिन, निर्वाचन होता है ।

द्वितीय अध्याय

उम्मेदवार के कार्य

पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि कोई व्यक्ति उम्मेदवार कैसे हो सकता है। अब हम यह घटलाते हैं कि उम्मेदवार हो जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सफलता के लिये, उम्मेदवार होने के समय से निर्वाचन के समय तक, आधुनिक पद्धति के अनुसार, क्या क्या कार्य करने चाहिये।

उम्मेदवार के सब-एजेन्ट, और खर्च का हिसाब— यदि उम्मेदवार ने उस निर्वाचक सभ की, जहा से वह उम्मेदवार हुआ है, निर्वाचक सूची पहिले प्राप्त नहीं की है, तो उसे वह शीघ्र प्राप्त कर लेनी चाहिये, उसे विश्वास-पात्र और योग्य व्यक्तियों को अपने 'सब-एजेन्ट' नियत करने चाहिये। इन कर्मचारियों की संख्या निर्वाचन क्षेत्र की सीमा, और निर्वाचन कार्य की गुरुता पर निर्भर है। उम्मेदवार को चाहिये कि वह अपने कर्मचारियों को इस बात की ताकीद करदे कि वे उसकी लिखित स्वीकृति के बिना कुछ खर्च न करें, और जो कुछ खर्च करें उसका पूरा पूरा, रसीद सहित, हिसाब

रमें, तथा उसे वे राखें उस (उम्मेदवार) के पास भेजते रहें, और कभी कोई ऐसा खर्च न करें जो निर्वाचन कार्य के लिये गैर-कानूनी माना जाता है।

जिस दिन से उम्मेदवार निर्वाचन के लिये कार्य आरम्भ करे, उसी दिन से उसे निर्वाचन सम्बन्धी व्यय का पूरा पूरा हिसाब रखना चाहिये। पांच रुपये से अधिक के, प्रत्येक, खर्च के लिये रसीद ली जानी चाहिये। खर्च करते समय इस बात का मद्दव ध्यान रखा जाय कि कोई खर्च गैर-कानूनी तो नहीं हो रहा है।

गैर-कानूनी खर्च-व्यवस्थापक संस्थाओं, म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचन कार्य के लिये, निम्न लिखित कार्यों का खर्च गैर कानूनी माना जाता है—

१—मत प्राप्त करने के लिये, या अपने प्रतियोगी किसी उम्मेदवार को मत न देने के लिये, अथवा मत देने में सर्वथा उदासीन रहने के लिये रिश्वत देना, या जल-पान या भोजन आदि कराना, या दावत देना,

२—निर्वाचकों को किराये के तागे या मोटर इत्यादि पर, मत देने के लिये ले जाना या वापिस भेजना,

[उम्मेदवार इस कार्य के लिये अपने निर्जीतागे, मोटर आदि का उपयोग कर सकता है, यह उन्हें दूसरों से भी उधार ले सकता है, बशर्त कि वे किराये पर न चलती हों।]

३—ऐसे कमरे का उपयोग करना, या किराये पर लेना जहाँ शराब बेची जाती हो,

४—किसी प्रतियोगी उम्मेदवार को अपना नाम उम्मेदवारी से वापिस लेने के लिये रिश्वत देना,

नोट—व्यवस्थापक सस्थाओं के लिये, भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यय से अधिक खर्च करना भी ग़र-कानूनी माना जाता है।

उम्मेदवार का सूचना-पत्र—उम्मेदवार को चाहिये कि वह एक सूचना पत्र प्रकाशित कराये-जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो कि यदि वह (उम्मेदवार) निर्वाचित होजाय तो वह प्रतिनिधि की-हैसियत से क्या क्या कार्य करेगा। यह सूचना-पत्र बहुत सावधानी से तैयार किया जाना चाहिये और इस में वे ही बातें दी जानी चाहियें जो वह उम्मेदवार कर सके। यदि उम्मेदवार किसी दल (पार्टी) की ओर से खड़ा हुआ हो तो उसे उस दल द्वारा प्रकाशित सूचना-पत्र से सहायता लेकर, उस के आधार पर अपना सूचना-पत्र प्रकाशित करना चाहिये। * यदि आवश्यक हो तो वह इस सूचना-पत्र के बाद और भी सूचना-पत्र

* निर्वाचन कार्य के लिये जो कुछ छपाया जाय, उस में मुद्रक और प्रकाशक का नाम अवश्य रहना चाहिये।

प्रकाशित कराये । उसे प्रत्येक सूचना-पत्र का, अपने निर्वाचन क्षेत्र में यथेष्ट प्रचार करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये ।

आधुनिक पद्धति के अनुसार, उम्मेदवार के कार्य—आधुनिक पद्धति के अनुसार, उम्मेदवार को यह भी चाहिये कि जहाँ तक होसके वह स्वयं निर्वाचकों के पास जाये और उनके अधिक से अधिक मत प्राप्त करने का प्रयत्न करे । इस कार्य में वह अपने सब एजेंटों से सहायता ले सकता है * । उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सभायें करनी चाहियें और वहाँ योग्य व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान दिला कर, ॥ स्वयं व्याख्यान देकर निर्वाचकों का मत प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये यदि होसके तो उसे, सभा में आये हुए व्यक्तियों को प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहिये । इन प्रश्नों का उत्तर वह घड़ी सावधानी से देवे । उम्मेदवार को समाचार पत्रों में समयोचित लेख भेज कर अथवा भिजवाकर भी अपने कार्य से सहायता लेनी चाहिये ।

निर्वाचन के दिन उम्मेदवार को विशेष कार्य करना होता है । उसे चाहिये कि उस दिन मत लिये जाने के सब स्थानों

* उम्मेदवार को चाहिये 'कि निर्वाचन कार्य में किसी सरकारी दमचारी से कोई सहायता न ले ।'

अर्थात् पोलिंग स्टेशनों (Polling Stations) पर अपने कर्मचारी भेज दें जो मत धाताओं को उनका नम्बर बतायें तथा उन्हें मत देने के स्थान पर ले जाय । उम्मेदवार कुछ कुछ समय सभी पोलिंग स्टेशनों पर रहने का प्रयत्न करे । उसका एक एक सब-एजन्ट तो प्रत्येक मत लेने वाले अफसर के पास उपस्थित रहे और, मत देने के लिये, आने वाले निर्वाचकों की धनास्त में सहायता दे ।

सारांश—आधुनिक पद्धति में, यह आवश्यक है कि उम्मेदवार अपने पक्ष में, प्रचलित कानून का ध्यान रखने हुए, निर्वाचकों के अधिक से अधिक मत संग्रह करे । सम्भव है वह अपने प्रतियोगी उम्मेदवार से केवल एक ही मत की कमी के कारण हार जाय । इस लिये जरूरी है कि कोई उम्मेदवार यथा शक्ति अपने एक भी निर्वाचक की ओर से उदासीन न रहे । उन्हें और उस के कर्मचारियों को अधिक से अधिक निर्वाचकों का मत संग्रह करने के लिये जी तोड़ परिश्रम करना चाहिये ।

आन्दोलन की मर्यादा—परन्तु अन्य आन्दोलनों की भांति निर्वाचन-आन्दोलन भी एक मर्यादा के अन्दर ही रहना उचित है । वह मर्यादा कदापि उलंघन न की जानी चाहिये । आज कल कुछ उम्मेदवार अपने चाई, या निवास स्थान अथवा

जाति या धर्म के नाम पर निर्वाचकों से अपील करते हैं, या अपने प्रभाव या शक्ति का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणवत् एक उम्मेदवार अपनी जाति के मत दाताओं से कहता है, "आशा है कि तुम अपने जाति-प्रेम का परिचय दोगे और गैर आदिमियों से अपने जाति भाई को हर दृशा में अच्छा समझोगे", दूसरा अपने म्हधर्मियों से निवेदन करता है, "हमारा तुम्हारा इष्ट देव एक ही है, यह (दूसरा प्रतियोगी उम्मेदवार) तो नास्तिक या विधर्मी है। उसके पक्ष में मत देना तो महा-पाप है।" कोई कोई जर्मीदार उम्मेदवार अपने किसानों से कहता है "खरदार ! तुम लोगों में से किसी ने भी दूसरे उम्मेदवार को मत दिया तो, देग लिये जाओगे। मुझसे तो हमेशा ही काम है न ?" कोई-२ उम्मेदवार निर्वाचकों की तरह तरह की सौगन्ध दिखाते हैं और विविध प्रकार के प्रलोभन देते या मनमाना प्रभाव डालते हैं। अनुचित प्रभाव, कानून से वर्जित हैं, तथापि चालाक उम्मेदवार (तथा उनके चलतेहुए एजन्ट या सब-एजन्ट) इससे परहेज नहीं करते,। बहुधा वे निर्भीकता पूर्वक-इन क्षुद्र विचारों की सहायता से अपना काम निकालते रहते हैं, और किसी-को उनके विरुद्ध बोलने का, साहस नहीं होता। यह सब बातें त्याज्य हैं। उम्मेदवारों को कोई काम ऐसा न करना चाहिये जिससे जनता म सकुचित भावों का प्रचार हो, चाहे इससे उनकी निर्वाचन

में विजय की ही सम्भावना क्यों न प्रतीत होती हो ।

भिन्न भिन्न दलों की चालें-परन्तु खेद है कि न केवल उम्मेदवार व्यक्तिगत रूप से ही अनेक अनुचित कार्य करते हैं, वरन् प्रायः भिन्न भिन्न राजनैतिक दल (तथा उनके समाचार पत्र) निर्वाचन के समय, निर्वाचकों में तरह तरह की अफवायें उड़ा कर अथवा उन्हें विविध प्रकार से धोखा देकर अपने अपने उम्मेदवारों की विजय का प्रयत्न करते हैं । पाश्चात्य देश इस कार्य में, बहुत घड़े चढ़े हैं, उनके विविध दल पैसे की बातों में घड़े प्रवीण हैं ।

उनका अनुकरण भारतवर्ष में भी होने लग गया है । पिछले दिनों यहा दो दल प्रधान थे, लिबरल और स्वराजी । लिबरल ने यह कहना आरम्भ किया कि "स्वराजियों की नीति से सरकार को अपनी मनमानी का अवसर मिलता है, वे, चाहें अनिच्छा से ही क्यों न हो, सरकार का दल बढ़ाते हैं, अतः उनको वोट देना नौकरशाही को वोट देने के समान है" । इसके जवाब में स्वराजियों ने निर्वाचकों से कहा कि "लिबरलों के मताधिक्य तथा भ्रष्टत्व में सैकड़ों नवयुवक गैर-कानूनी कानून से जेल में ठूसे गये, अतः लिबरल दल को वोट देना और अपने देश के नवयुवकों को जेल में भेजना एक ही धान है" । दोनों दलों की उपर्युक्त बातों में असत्य तथा मिठा-

घट का बहुत अंश है, परन्तु सभ्राम में विजय पाने की इच्छा रखने वाले पक्ष प्रायः इस बात का गम्भीरता से विचार नहीं करते। प्रत्येक दल दूसरे को नीचा दिखाना और उसे जनता की दृष्टि में अपमानित करना अपना कर्तव्य समझता है। इस प्रकार वर्तमान निर्वाचन पद्धति में उम्मेदवारों अथवा भिन्न भिन्न दलों का कितना नैतिक पतन होजाता है, यह विचारणीय है।

हमारा आदर्श—व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये जनता का प्रतिनिधि होना, देश सेवा के विविध साधनों में से एक है। * जो व्यक्ति इस साधन की प्राप्ति में अनुचित उपायों से—चाहे वे कानून से अनुचित न भी समझे जाय—काम लेते हैं, उनकी सेवा का वास्तविक महत्व बहुत कुछ नष्ट होजाता है। जो व्यक्ति झूठ सच धोळ कर, और तरह तरह की बातें बना कर, प्रतिनिधियनता चाहते हैं, तथा अपने लिये मत संग्रह करने के वास्ते स्वयं अपने गुणों की विश्लेषण करते और अपने एजेंट, सब-एजेंट या मित्रादि से अपनी प्रशंसा कराने में सकोच नहीं करते, उनकी गिनती,

* देश की आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि अनेक प्रकार की वन्नति करने के बहुत से मार्ग हैं। व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों से बाहर रह कर भी बहुत सेवा की जा सकती है और प्रत्येक देश में अनेक यमनों द्वारा की जा रही है।

आज कल चाहे जितने बड़े आदमियों में की जाय, प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार उनकी सेवा सात्विक और निष्काम नहीं कही जा सकती।

भारतीय आदर्श को ध्यान में रख कर ही, श्री० दाम स्वराज्य योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई व्यक्ति न तो स्वयं किसी पचायत का सदस्य होने के लिये उम्मेदवार बने और, न अपने पक्ष में मत संग्रह करने के लिये मतदाताओं से मिलता फिरे। यदि निर्वाचक उससे उम्मेदवार होने की प्रार्थना करें तो वह जनता के सामने इस बात में अपना सहमत होना सूचित करदे कि यदि उसका निर्वाचन होजायगा तो वह इस कार्य-भार को ग्रहण कर लेगा।

हमारी सम्मति में, यदि इस योजना को आवश्यक उप-नियमों सहित कानून का स्वरूप मिल जाय और इसके अनुसार कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आन्दोलन बहुत सुधर जाय और इसकी बहुत सी ऐसी खराबियां हट जाय, जिनके कारण बहुधा शान्त प्रकृति वाले भले आदमी इससे दूर रहना ही पसन्द करते हैं। हम चाहते हैं कि नागरिक इस पर भली भाँति विचार तथा तर्क वितर्क करें।

दसकॉ अहकॉ

मत किस प्रकार दिये जाते हैं ?

इस अध्याय में हम यह घतलाने का प्रयत्न करेंगे कि निर्वाचन में मत साधारणतया किस प्रकार दिये जाते हैं । पहिले हम निर्वाचकों के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना आवश्यक समझते हैं ।

निर्वाचकों का उत्तरदायित्व—खेद है कि बहुत से निर्वाचक किसी सम्पन्न या प्रभावशाली व्यक्ति के लोभ अथवा लिहाज में आजाते हैं, अथवा तुच्छ साम्प्रदायिक विचारों में फस जाते हैं । इससे ये अपना मत योग्य सज्जनों को नहीं देते और, अयोग्य उम्मेदवार व्यवस्थापक सस्या के सदस्य बन जाते हैं । नये नये टैक्स लगते हैं, मन माना खर्च होता है और नागरिकों की उन्नति के यथेष्ट उपाय नहीं किये जाते । इस प्रकार तमाम शासन यत्र विगड़ जाता है । इस के वास्तविक दोषी ये निर्वाचक होते हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का दुरुपयोग किया है । इस लिये यह बहुत आवश्यक है कि निर्वाचक

आज कल चाहे जितने बड़े आदमियों में, की जाय, प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुसार उनकी सेवा सात्विक और निष्काम नहीं कही जा सकती।

भारतीय आदर्श को ध्यान में रख कर ही, श्री० दाम स्वराज्य योजना में यह व्यवस्था की गयी है कि कोई व्यक्ति न तो स्वयं किसी पंचायत का सदस्य होने के लिये उम्मेदवार बने और, न अपने पक्ष में मत संग्रह करने के लिये मतदाताओं से मिलता फिरे। यदि निर्वाचक उससे उम्मेदवार होने की प्रार्थना करें तो वह जनता के सामने, इस बात में अपना सहमत होना सूचित करदे कि यदि उसका निर्वाचन होजायगा तो वह इस कार्य-भार को ग्रहण कर लेगा।

हमारी संमति में, यदि इस योजना को आवश्यक उप-नियमों सहित कानून का स्वरूप मिल जाय और इसके अनुसार कार्य होने लगे तो निर्वाचन-आन्दोलन बहुत सुधर जाय और इसकी बहुत सी ऐसी खराबियां हट जाय, जिनके कारण बहुधा शान्त प्रकृति वाले भले आदमी इससे दूर रहना ही पसन्द करते हैं। हम चाहते हैं कि नागरिक इस पर भली भाँति विचार तथा तर्क वितर्क करें।

इसका किया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन स्थान के लिये
या अधिक मत लेने वाले अफसर की नियुक्ति की जाती
। निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान में मत लेने का कार्य
रम्भ होता है ।

जब निर्वाचक मत देने के स्थान पर जाता है, उसका नाम और
। पूछा जाता है । आवश्यकता होने पर उम्मेदवार या
सके एजेन्ट का, निर्वाचन-अफसर या उसके कर्मचारी के
। मने, निर्वाचक की शनाख्त करनी होती है । शिक्षित
। र्वाचक को अपने हस्ताक्षर करने, और अशिक्षित को अपने
। गूठे का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है जिसे
। र्वाचन-पत्र या बेलट पेपर (Ballot Paper) कहते हैं ।
। त पर्चे को देने से पहिले, उम्मेदवार या उसके एजेन्ट के
। हने पर किसी मत-दाता से निर्वाचन अफसर यह प्रश्न कर
। करता है, 'क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनका नाम निर्वाचक
। त्रों में देज है' या 'क्या आप आज इस से पहिले मत दे गये
। ' यदि मत दाता इन प्रश्नों का उत्तर न दे अथवा पहिले
। रन का उत्तर ' नहीं ' या दूसरे का ' हा ' दे, तो उसे निर्वा-
। न का पर्चा नहीं दिया जायगा । पर्चा देने के बाद निर्वाचन-
। फसर निर्वाचक को यह बता देता है कि वह अधिक से
। अधिक कितने मत दे सकता है । * पर्चा लेकर शिक्षित

येक निर्वाचक एक सदस्य के लिये एक मत दे सकता है

अपना कर्तव्य भली भाँति पालन करें। साथ ही, वे इस बात का भी निरीक्षण करते रहें कि कहीं मत वेंचने या खरीदने का पाप कर्म, अथवा निर्वाचन सम्वन्धी कोई अन्य अनियमित कार्रवाई तो नहीं होरही है। यदि ऐसा जान पड़े तो वे अपराधियों को न्यायालय से यथा शक्ति समुचित दंड दिलावें।

मत कैसे आदमी को दिये जाय ?—निर्वाचकों को चाहिये कि वे ऐसे सज्जन को ही मत देकर अपना प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी तथा उदार और सुधारक हो, निस्वार्थ-सेवा, त्याग और कष्ट सहन का उच्च आदर्श रखता हो। उसकी जाति पाँति का विचार करना ठीक नहीं। किसी की मीठी या लम्बी बातों का विश्वास न कर उसके पहिले किये हुए कार्यों तथा व्यवहार और आचरण पर विचार करना चाहिये। इस बात का भी ध्यान रहना आवश्यक है कि वह निर्भीक और स्वतंत्र प्रकृति का हो, अधिकारियों के रोँच से दबने वाला, खुशामदी तथा उन्हें मान पत्र देने आदि में सार्वजनिक द्रव्य छुटाने वाला न हो।

चुनाव की कार्रवाई—प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये समय समय पर, अथवा स्थान-भेद से भिन्न भिन्न पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह होता है। पहिले सरकार द्वारा निर्वाचन स्थान, तिथि और समय

में के निम्न लिखित पत्रें खारिज कर दिये जाते हैं, उनके मत नहीं गिने जाते —

१—जिन पर सरकारी चिन्ह न हो,

२—जिन पर उतने उम्मेदवारों से अधिक के नाम के सामने निशान लगाया गया हो जितने प्रतिनिधियों की आवश्यकता हो,

३—जिन पत्रों पर कोई निशान न लगाया गया हो,

४—जिन से किसी कारण यह स्पष्ट न हो कि किस उम्मेदवार या जिन उम्मेदवारों को, निर्वाचक मत देना चाहता था, और,

५—जिन पर कोई ऐसा संकेत हो, जिससे मत देने वाले का नाम आदि मालूम हो सके।

निर्वाचकों को चाहिये कि अपना पत्र वेसी सावधानी से भरें कि वह खारिज न हो।

रंगीन सन्दूकों का उपयोग—पूत्रोंक पत्राति से पत्रों का मननी शुभ रहता है, परन्तु अशिक्षित निर्वाचकों को मालूम हो जाता है। इस दोष को दूर कर

निर्वाचक एक नियत एकान्त स्थान में जाकर उस पर्चे पर अपने अभीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दिष्ट चिह्न (+ या X) कर देता है और उस पर्चे को मोड़कर एक सन्दूक में डाल देता है, जो वहा इस काम के लिये, विशेष रूप से तैयार करा के रखा होता है। यदि निर्वाचक अशिक्षित या बीमार, अथवा बेकार हाथ वाला हो तो निर्वाचन अफसर उम्मेदवारों तथा उनके एजेन्टों की उपस्थिति में, उसके बताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्चे को उस सन्दूक में डलवा देता है। निर्धारित समय के पश्चात् सन्दूक पर मोहर लगा कर उसे बन्द कर दिया जाता है। पीछे यह सन्दूक निर्वाचन-अफसर, उसके सहायकों, तथा ऐसे उम्मेदवारों या उनके एजेन्टों के सामने खोला जाता है, जो वहा उपस्थित हों। और, पर्चों को छाट कर प्रत्येक उम्मेदवार को मिले हुए मत गिने जाते हैं।

सारिज पर्चे—जब निर्वाचन पर्चों का सन्दूक, मतों की गिनती करने के लिये खोला जाता है, तो उस

हरणार्थ यदि किसी निर्वाचक-सभ से तीन प्रतिनिधि चुने जाने हैं, और कल्पना करो कि वहां से पांच उम्मेदवार खड़े होते हैं, तो एक निर्वाचक इन पांचों व्यक्तियों में किन्हीं तीन सज्जनों के लिये एक एक मत दे सकता है। वह चाहे तो तीन से भी कम (दो या एक) को ही अपना एक मत दे, परन्तु वह तीन से अधिक को मत नहीं दे सकता।

ग्यारहवाँ अध्याय

निर्वाचन अपराध



यह स्पष्ट ही है कि निर्वाचन कार्य एक प्रकार का युद्ध है। प्रत्येक उम्मेदवार अपने प्रतियोगी उम्मेदवार की अपेक्षा अधिक मत संग्रह करने का प्रयत्न करता है। अनेक बार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति उम्मेदवार होने के लिये पहिले विशेष इच्छुक न थे, और जिन्होंने दूसरों के घटत समझाने बुझाने पर ही उम्मेदवारी का पर्चा दाखिल किया था, वे निर्वाचन में विजयी होने के लिये पीछे बड़े जोश से काम करने लगे।

अस्तु, बहुधा यह आशंका रहती है कि उम्मेदवार कोई ऐसी अनियमित कार्रवाई न कर गुजरें जिससे निर्वाचन कार्य बहुत दूषित हो जाय। इसे रोकने के लिये प्रत्येक देश में जहाँ जहाँ निर्वाचन होता है, कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं जिनके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अनियमित कार्य दंडनीय अपराध माने जाते हैं। यद्यपि उक्त नियमों के धनजाने से अपराधों का सर्वथा समाप्त नहीं होजाता और कुछ

है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिये एक एक रंग नियत कर दिया जाता है और उम्मेदवार के संदूक पर उसका नाम भी लिख दिया जाता है। जब निर्वाचन-अफसर किसी निर्वाचक को निर्वाचन-पत्र देता है तो वह उसे यह समझा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिये उसे मत देना हो, उसके रंग वाले संदूक में वह अपना निर्वाचन-पत्र डालदे निर्वाचक अपनी इच्छानुसार निर्वाचन-पत्र अभीष्ट संदूक में डाल देता है। निर्धारित समय के पश्चात् प्रत्येक संदूक में डाले हुए निर्वाचन-पत्रों की संख्या गिनली जाती है।

इस प्रणाली से यह लाभ है कि आशिक्षित निर्वाचक अपना मत निरसकोच, बिना किसी के जाने हुए, दे सकते हैं। उनका भी मत गुप्त रहता है। यदि किसी निर्वाचक ने अनुचित दबाव में पड़कर किसी विशेष उम्मेदवार को मत देने की प्रतिज्ञा करली हो तो वह उससे सहजही मुक्त हो सकता है।

आधुनिक निर्वाचन पद्धति में भिन्न भिन्न उम्मेदवारों के पक्ष में दिये हुए मतों के गिनने में बड़ी सुविधा रहती है। जिन उम्मेदवारों के लिये अधिक मत आते हैं, उनके निर्वाचित होजाने की सूचना दी जाती है।

उम्मेदवारों का अध्याय

निर्वाचन अपराध

यह स्पष्ट ही है कि निर्वाचन कार्य एक प्रकार का युद्ध है। प्रत्येक उम्मेदवार अपने प्रतियोगी उम्मेदवार की अपेक्षा अधिक मत संग्रह करने का प्रयत्न करता है। अनेक धार ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति उम्मेदवार होने के लिये पहिले विशेष इच्छुक न थे, और जिन्होंने दूसरों के बहुत समझाने बुझाने पर ही उम्मेदवारी का पर्चा दाखिल किया था, वे निर्वाचन में विजयी होने के लिये पीछे बड़े जोश से काम करने लगे।

अस्तु, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उम्मेदवार कोई ऐसी अनियमित कार्रवाई न कर गुजरें जिससे निर्वाचन कार्य बहुत दूषित हो जाय। इसे रोकने के लिये प्रत्येक देश में जहां जहां निर्वाचन होता है, कुछ ऐसे नियम बनाये जाते हैं जिनके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अनियमित कार्य दंडनीय अपराध माने जाते हैं। यद्यपि उक्त नियमों के बनजाने से अपराधों का सर्वथा समाप्त नहीं होजाता और कुछ आदमी

अपराध करते हुए भी क़ानून से साफ़ बचे रहते हैं, तथापि इसमें सदेह नहीं कि आवश्यक नियम घन जाने से, तथा उनमें समय समय पर देश काल की परिस्थिति के अनुसार, परिवर्तन होते रहने से, परिस्थिति बहुत बिगड़ने नहीं पाती ।

व्यवस्थापक संस्थाओं के लिये—भारतवर्ष में व्यवस्थापक संस्थाओं के निर्वाचन के लिये निम्न लिखित कार्य अपराध माने जाते हैं —

- १—रिश्वत,
- २—अनुचित प्रभाव,
- ३—झूठे नाम से कार्य कराना (Personation),
- ४—झूठा वयान प्रकाशित करना,
- ५—निर्वाचन व्यय का हिसाब न देना, या झूठा हिसाब देना,
- ६—निर्वाचक को सवारी खर्च देना,
- ७—किराये की सवारियों को भाड़े पर लेना,
- ८—शराब की दुकानों को किराये पर लेना,
- ९—मुद्रक या प्रकाशक के नाम के बिना, कोई सूचना आदि प्रकाशित कराना,

इन में से पहिले पांच घंटे अपराध, और शेष चार छोटे अपराध माने जाते हैं। अब हम इन अपराधों के सम्बन्ध में पृथक् पृथक् कुछ विशेष विचार करते हैं।

रिशवत—उम्मेदवार या उसके एजेन्ट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति को कोई वस्तु या रुपया इस उद्देश्य से दें, या देने का वचन दें कि वह व्यक्ति निर्वाचन के लिये उम्मेदवार होजाय, या उम्मेदवार न हो, या उम्मेदवारी से बँट जाय, अथवा वह व्यक्ति उसके पक्ष में मत दे, या मन बिल्कुल ही न दे तो वह उम्मेदवार या एजेन्ट रिशवत देने का अपराधी माना जाता है। यदि वस्तु या रुपया उपर्युक्त कार्य किये जाने के लिये इनाम के तौर पर दिया जाय तो भी वह रिशवत समझी जाती है।

[निर्वाचन के समय निर्वाचकों को भोजन कराना, शराब या शराव आदि पिलाना, दावत इत्यादि देना भी रिशवत समझी जाती है। इस सम्बन्ध में भविष्य में दावत देने का वायदा करना भी रिशवत मानी जाती है। परन्तु यदि दावत बिना वायदा किये दी जाय तो रिशवत नहीं मानी जाती। यदि ज़मींदार अपने काश्तकारों को विशेष अधिकार, उनका मत प्राप्त करने के लिये देदे, तो यह भी रिशवत मानी जाती है।]

जो व्यक्ति रिशवत का अपराध करता है उसे भारतीय दंड विधान की १७१-ई धारा के अनुसार एक वर्ष तक की सज़ा,

या जुर्माना, या दोनों दंड दिये जा सकते हैं । परन्तु भोज कराने, शरवत या शराब पिलाने या दावत देने के अपराध केवल जुर्माना ही हो सकता है । शरवत देने का दूसरा दंड होता है कि अपराधी पाच वर्ष तक अपने निर्वाचन अधिकार वंचित रहेगा, न्यायाधीश न हो सकेगा, किसी ट्रस्ट का ट्रस्ट न हो सकेगा, और यदि वह किसी स्थानीय स्थराज-संसद का चुना हुआ प्रतिनिधि हो तो वह अपने अधिकार से वंचित कर दिया जायगा ।

अनुचित प्रभाव—जो व्यक्ति किसी उम्मेदवार या निर्वाचक या किसी अन्य ऐसे मनुष्य को, जिसका उम्मेदवार या निर्वाचक से धनिष्ठ सम्बन्ध हो, किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की धमकी दे, या इस प्रकार की धमकी दे कि यदि वह उसके कथनानुसार कार्य न करेगा तो वह दैवी कोप या पाप का भागी होगा, तो वह व्यक्ति अनुचित प्रभाव डालने का अपराधी माना जाता है ।

जो व्यक्ति अनुचित प्रभाव डालने का अपराधी होता है वह भारतीय दंड विधान की १७१-एफ धारा के अनुसार एक साल तक के लिये कैद या जुर्माने या दोनों दंड का भागी होगा ।

झूठे नाम से कार्य कराना—यदि कोई उम्मेदवार या

उसका एजेंट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, निर्वाचन-पत्र के लिये, किसी व्यक्ति से अन्य, जीवित या मृत, व्यक्ति के नाम से दर्खास्त दिलाये या एक व्यक्ति से दो भिन्न भिन्न नामों से दर्खास्त दिलाये तो वह उम्मेदवार या उसका एजेंट झूठे नाम से कार्य कराने का अपराधी माना जाता है।

जो व्यक्ति झूठे नाम से कार्य कराने का अपराधी होता है, उसे वही दंड दिया जाता है, जो अनुचित प्रभाव डालने वाले को दिया जाता है।

झूठा बयान प्रकाशित करना—यदि कोई उम्मेदवार या उसका एजेंट स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अन्य उम्मेदवार के आचरण या व्यवहार के विरुद्ध ऐसा बयान प्रकाशित करायें जिसे वह जानता हो कि सच नहीं है और, जिमसे उसके प्रतियोगी उम्मेदवार के निर्वाचन में हानि पहुँचने की सम्भावना हो, तो वह उम्मेदवार या उसका एजेंट झूठा बयान प्रकाशित करने का अपराधी माना जाता है।

जो व्यक्ति झूठा बयान प्रकाशित करने का अपराधी होता है, उसे भारतीय दंड विधान की १७१-जी धारा के अनुसार जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

निर्वाचन व्यय का हिसाब न देना या झूठा

हिमाय देना—निर्वाचन का परिणाम प्रकाशित होने के ३५ दिन के भीतर उम्मेदवार और उनके एजेंट को निर्वाचन अफसर के पास अपने निर्वाचन सम्बन्धी व्यय का पूरा हिसाब भेजना चाहिये। इस हिसाब को कोई भी व्यक्ति, एक रुपया फीस देकर देख सकता है। इस हिसाब में निम्न लिखित व्यय बनलाया जाना आवश्यक है :—

अ—उम्मेदवार का निर्वाचन में सफर सम्बन्धी तथा अन्य निजी व्यक्ति-गत व्यय।

आ—एजेंट, सब-एजेंट, क्लर्क तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन, (प्रत्येक के नाम सहित)।

इ—इस सब कर्मचारियों का सफर सम्बन्धी व्यय।

ई—अन्य व्यक्तियों का निर्वाचन सम्बन्धी व्यय।

उ—छपाई, विज्ञापन, स्टेशनरी, डाक, तार का व्यय, सभा आदि के वास्ते लिये हुए मकान का किराया।

ऊ—निर्वाचन सम्बन्धी अन्य विविध व्यय।

[जहां तक हो सके, पांच रुपये से अधिक के प्रत्येक व्यय के लिये रसीद न ली कराना आवश्यक है। यदि किसी व्यय के लिये रसीद न ली- गयी हो, तो उसका पूरा पूरा व्यय देना चाहिये। जिस व्यय का रुपया देना शेष हो, उसकी सूची पृथक् दी जानी चाहिये। यदि उम्मेदवार को किसी

व्यक्ति या मत्स्या से निर्वाचन के लिये कोई आर्थिक सहायता मिली हो, तो उसका भी पूरा हिसाब देना चाहिये ।]

यदि कोई उम्मेदवार या पजेन्ट इस हिसाब को निर्धारित समय के अन्दर निर्वाचन अफसर के पास न भेजे, या झूठा हिसाब भेजे तो वह पाच वर्ष के लिये अपने निर्वाचन अधिकार से वंचित किया जा सकता है और यदि वह निर्वाचित हा चुका हो तो उसका निर्वाचन रद्द किया जा सकता है ।

अब हम निर्वाचन सम्बन्धी छोटे अपराधों का उल्लेख करते हैं । इन अपराधों के अपराधां तीन साल तक निर्वाचन अधिकार से वंचित किये जा सकते हैं ।

निर्वाचक का सवारी खर्च देना—किसी निर्वाचक को मत देने के लिये आने या जाने का, सवारी खर्च देने के लिये, किसी व्यक्ति को कुछ द्रव्य देना, या देने का वायदा करना, निर्वाचन अपराध माना जाता है ।

किराये की सवारियों को भाड़े पर लेना—किसी ऐसी किड़ती, गाड़ी या जानवर को निर्वाचन कार्य के लिये किराये लेना, या मागना, जो साधारणतया किराये पर चलते हैं, या किराये के लिये रहते हैं, निर्वाचन अपराध माना जाता है ।

[उम्मेदवार अपने मित्र आदि दूसरे व्यक्ति की ऐसी

सवारी माग कर उपयोग कर सकता है, जो किराये पर न चलती हो, परंतु शर्त यह है कि उसके लिये जो खर्च हो, जैसे माटर में तेल खर्च होता है, वह सवारी का मालिक ही दे। उम्मेदवार अपने एजेंट आदि कर्मचारियों के लिये किराये की सवारियों का प्रबन्ध कर सकता है।]

शराब की दुकानों को किराये लेना—कोई ऐसा मकान, या कमरा या अन्य जगह निर्वाचकों की सभा या कमेटी के लिये किराये लेना या उपयोग करना, जहा सर्व-साधारण को शराब बेची जाती हो, निर्वाचन अपराध माना जाता है।

मुद्रक या प्रकाशक के नाम के बिना, कोई सूचना प्रकाशित कराना—निर्वाचन सम्बन्धी कोई ऐसी सूचना या इशतहार आदि प्रकाशित कराना, जिस पर मुद्रक या प्रकाशक का नाम न हो, निर्वाचन अपराध माना जाता है।

[उम्मेदवार के एजेंट को चाहिये कि निर्वाचन सम्बन्धी सूचनायें या इशतहार छपाने का काम, अपने मित्रों या मुलाहिजे वालों से न करा का, ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा कराये जिनका पेशा छपाई का काम करना है। उसे यह भी चाहिये कि इस प्रकार की छपाई दे ठीक ठीक बिल लेकर उन्हें पूरी तरह चुकादे। सब हिसाब ऐसा रहना चाहिये कि उसके विषय में फौट शक न हो सके।]

म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये—

अब हम यह बतलाते हैं कि युक्त प्रान्तीय म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचन में क्या क्या कार्य अपराध मान जाते हैं। इससे, स्थूल रूप से, भारतवर्ष की अन्य म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचन अपराधों का भी साधारण अनुमान हो सकेगा।

युक्त प्रान्त में म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के निर्वाचन के समय, किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष या गौण रूप से, स्वयं किये हुए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराये हुए निम्न लिखित कार्य निर्वाचन सम्बन्धी अपराध माने जाते हैं —

- १—धोरे से या जान बूझकर भ्रमोत्पादन, दबाव या धमकी से, किसी निर्वाचक, को किसी उम्मेदवार के पक्ष में, मत देने या न देने के लिये प्रेरणा करना,
- २—किसी निर्वाचक को, किसी उम्मेदवार के पक्ष में मत देने या न देने के लिये, रुपया पैसा, कोई पद या नौकरी देना, या अन्य मुनाफे की जगह दिलाने का वायदा करना।
- ३—किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य निर्वाचक के नाम से मत दिलाना।

उपर्युक्त अपराध करने वाले उम्मेदवार को भदालत पाच वर्ष तक निर्वाचन अधिकार से वंचित कर सकती है और, यह भी हुकम दे सकती है कि वह म्युनिसिपैलिटी या ज़िला-बोर्ड की नौकरी में न रखा जाय और न उससे कोई-उसका कार्य लिया जाय । यदि प्रान्तीय सरकार चाहे तो पाच वर्ष के अन्दर भी, ऐसे दोषी व्यक्ति को निर्वाचन अधिकार दे सकती है।

बारहवाँ अध्याय

निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेज़ें

पिछले अध्याय में निर्वाचन-अपराधों का वर्णन हो चुका है। उन अपराधों के करने वालों का निर्वाचन रद्द कराने, या उन्हें दंड दिलाने के लिये, निर्धारित समय के अन्दर, दस्तावेज़ दी जा सकती है। इस अध्याय में हम यह बतलाते हैं कि वह दस्तावेज़ कब और किसको देनी चाहिये, उसमें फिन किन घातों का उल्लेख रहना चाहिये, तथा उसके सम्बन्ध में अन्य क्या कार्रवाई करनी होती है।

भारतीय व्यवस्थापक संस्थाओं के विषय में—
भारतीय व्यवस्थापक संस्थाओं के प्रत्येक उम्मेदवार के निर्वाचन व्यय का हिसाब, निर्वाचन-अफसर के पास भेजे जाने की बात पिछले अध्याय में कही जा चुकी है। निर्वाचन-अफसर इस हिसाब मिलने की सूचना निर्वाचक संघ में करा देता है। जिस दिन निर्वाचन अफसर को निर्वाचित उम्मेदवार का हिसाब मिलता है, उससे १४ दिन के भीतर कोई निर्वाचक

या उम्मेदवार गवर्नर को, किसी निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कराने की, दर्खास्त दे सकता है।

यदि सरकार द्वारा इस काम के लिये नियुक्त किसी अफसर को यह पता लगे कि निर्वाचन के समय खूब रिशवत-वाजी हुई, या अनुचित प्रभाव डाला गया तो वह, निर्वाचन-अफसर को उक्त हिसाब मिलने के तीस दिन के अन्दर, गवर्नर को निर्वाचन रद्द करने की दर्खास्त दे सकता है।

यदि कोई उम्मेदवार या उसका एजेन्ट भारतीय दंड विधान के अनुसार रिशवत देने, अनुचित प्रभाव डालने, या झूठे नाम से कार्य कराने का दोषी ठहराया गया हो तो दोषी ठहराये जाने दिन से १४ दिन के अन्दर, कोई उम्मेदवार या निर्वाचक गवर्नर को, निर्वाचन रद्द कराने के लिये दर्खास्त दे सकता है।

अपनी दर्खास्त के साथ, प्रत्येक दर्खास्त देनेवाले को १०००) रुपये जमा करने होते हैं। यदि दर्खास्त, प्रान्तीय सरकार से नियुक्त किसी अफसर द्वारा दी जाय तो इस प्रकार की कोई रकम जमा करने की आवश्यकता नहीं।

प्रत्येक दर्खास्त में संक्षेप में, वे सब बातें होनी चाहियें जिनके आधार पर दर्खास्त देने वाला मुकद्दमा चलाना चाहता है। उस दर्खास्त के साथ एक सूची दीजानी चाहिये जिसमें

प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-अपराध का पूरा व्यौरा हो, जो वह अपने विपक्षी के विरुद्ध साबित करना चाहता है। इस सूची में यह भी बतलाया जाना चाहिये कि वह अपराध किस तारीख को, किस स्थान में हुआ, किसने और किसके विरुद्ध किया, और यदि वह व्यक्ति जिस के विरुद्ध अपराध किया गया, निर्वाचक है तो उसका निर्वाचक नम्बर क्या था।

किसी निर्वाचन को रद्द किये जाने की दस्तावेज़ नियमित रूप से मिल जाने पर, गवर्नर उसकी जाच के लिये तीन कमिश्नरों का एक कमीशन नियुक्त करता है। यह कमीशन गवर्नर द्वारा निर्दिष्ट किये हुए स्थान पर अपनी जाच का कार्य आरम्भ कर देता है।

कमीशन की जाच में, विपक्षियों को अपने तर्क निर्दोष साबित करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है, और यदि वे चाहें तो यह भी साबित कर सकते हैं कि दस्तावेज़ देने वाला व्यक्ति निर्वाचन-अपराध का दोषी है।

यदि कमीशन का यह निर्णय हो कि निर्वाचन के समय कोई बड़ा निर्वाचन-अपराध किया गया है, या ऐसी दृष्टि कार्रवाई की गयी है जिसका चुनाव पर भारी असर पड़ा है, या कोई उम्मेदवारी का प्रस्ताव पत्र, या किसी का निर्वाचन-पत्र अनियमित रूप से ले लिया गया है, या अस्वीकार कर दिया

गया है, या कोई कार्रवाई निर्वाचन-नियमों के अनुसार नहीं हुई और उसका निर्वाचन पर बहुत प्रभाव पड़ा तो निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है, और निर्वाचन दुबारा किये जाने की आशा दी जाती है, या दर्खास्त देने वाले व्यक्ति को ही निर्वाचित उम्मेदवार समझे जाने की आशा दी जाती है ।

म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला बोर्डों के विषय में अब हम युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों की निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तों के विषय में कुछ मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं । इससे पाठकों को अन्य प्रान्तों की म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों की निर्वाचन सम्बन्धी दर्खास्तों के विषय में भी कुछ अनुमान करने का अवसर मिल जायगा ।

युक्त प्रान्त में ऐसा उम्मेदवार, जो स्वयं निर्वाचित होने का दावा करता है, या कोई दस निर्वाचक किसी उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द किये जाने की दर्खास्त दे सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास इस बात का सबूत हो कि निर्वाचन के समय कोई निर्वाचन-अपराध हुआ है, या किसी निर्वाचक का मत गैर कानूनी तौर पर ले लिया गया है, या जो उम्मेदवार चुना गया है वह उम्मेदवार होने का अधिकारी नहीं था ।

यह दरखास्त, निर्वाचन का परिणाम सुनाये जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर, दी जानी चाहिये। * म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचन सम्बन्धी दरखास्त कमिश्नर को दी जानी चाहिये और ज़िला-बोर्ड सम्बन्धी जिला-जज को। प्रत्येक दरखास्त के साथ पचास रुपये जमा करने होते हैं।

प्रत्येक दरखास्त में साक्षिप्त रूप से वे सवधानें होनी चाहियें जिन के आधार पर दरखास्त देने वाला मुकद्दमा चलाना चाहता है। उसमें प्रत्येक ऐसे निर्वाचन अपराध का पूरा ब्यौरा होना चाहिये जो वह अपने विपक्षी के विरुद्ध साबित करना चाहता है। विपक्षी को अपने तर्क निर्दोष साबित करने का यथेष्ट अवसर दिया जाता है। यदि उक्त दरखास्त की जांच करने वाली अदालत इस निर्णय पर पहुँचे कि निर्वाचन के समय कोई ऐसा निर्वाचन अपराध किया गया है जिससे निर्वाचन में बड़ा प्रभाव पड़ा तो निर्वाचित उम्मेदवार का निर्वाचन रद्द कर दिया जाता है और नया निर्वाचन किये जाने की आज्ञा दी जाती है, या दरखास्त देने वाले उम्मेदवार को ही निर्वाचित उम्मेदवार समझे जाने की आज्ञा दी जाती है।

* प्रायः म्युनिसिपैलिटियों के निर्वाचन का परिणाम उसी दिन सुना दिया जाता है, जिस दिन मत दिये जाते हैं, और जिला-बोर्डों का दो, चार दिन बाद सुनाया जाता है।

निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेजों को कम दी जाने पर विचार—भारतवर्ष में निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेजों बहुत कम दी जाती हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि बहुधा आदमी एक निर्वाचन अपराध को होता जान लेने या देख लेने पर भी, यह सोचते हैं कि इसे कानूनी दृष्टि से साबित करना कठिन होगा, अदालत में बहुत खर्च करना होगा और परेशानी उठानी पड़ेगी। इस लिये वे उसके विषय में मुकद्दमा चलाने या निर्वाचन सम्बन्धी दस्तावेज देने का साहस नहीं कर सकते। भारत-वर्ष की न्याय पद्धति में विशेष परिवर्तन हुए बिना, उपर्युक्त विषय में यथेष्ट सुधार नहीं हो सकता।

न्यवस्थापक सस्थाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में दस्तावेज देने के साथ १००० रु० जमा करने का नियम इन दस्तावेजों की संख्या कम रहने का दूसरा कारण है। बहुत थोड़े व्यक्ति इतना आर्थिक भार उठाने में समर्थ हैं। इस विषय में तो शीघ्र ही सुधार किया जाकर कम रकम जमा होने का नियम होना चाहिये। तभी इन दस्तावेजों की संख्या कुछ विशेष रूप से बढ़ेगी और अधिक अपराधों को प्रकाश में लाया जासकेगा, और तभी अपराधों की संख्या घटने से निर्वाचन-कार्य अधिक निर्दोष होने में सहायता मिलेगी।

तेरहवां अध्याय

निर्वाचन-सुधार

*" The honest education of the electorate is a matter of primary importance " **

इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में हम यह घटा चुके हैं कि सुधार कानून के अनुसार भारतवर्ष की व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये निर्वाचन नियम क्या हैं, किन किन योग्यताओं वाले व्यक्ति निर्वाचन के लिये मताधिकारी, या उम्मेदवार हो सकते हैं, तथा उनके क्या क्या कार्य हैं। हम प्रसंगानुसार इन विषयों की आलोचना करते हुए तत्सम्बन्धी आदर्शों का भी दिग्दर्शन भी करा आये हैं। इस अध्याय में हम, एक ही स्थान पर इकट्ठे, कुछ मुख्य, मुख्य सुधारों के विषय में विचार करेंगे।

मुख्य मुख्य सुधार—भारतवर्ष में निर्वाचन सम्बन्धी

* " प्रधान आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचकों की उचित शिक्षा ही जाय। "

निम्न लिखित सुधारों की विशेष आवश्यकता है —

२—विशेष प्रतिनिधित्व ठीक नहीं ।

२—जाति-गत निर्वाचक संघ न रहने चाहिये ।

३—उम्मेदवार उच्च आदर्श वाले व्यक्ति हों, और यदि कोई व्यक्ति स्वयं उम्मेदवार खड़ा न हो तो बहुत उत्तम है ।

४—निर्वाचकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये ।

५—भारतवर्ष में निर्वाचन अधिकार बहुत कम जनता को है, इसे घटाने की बहुत आवश्यकता है, और जाति-गत दंगे आदि किसी कारण से इसे घटाना तो कदापि उचित नहीं ।

अब हम इन बातों में से प्रत्येक पर कुछ विचार करते हैं ।

विशेष प्रतिनिधित्व ठीक नहीं—भारतवर्ष में ज़मींदारों जैसे कुछ जन-समुदायों तथा विश्व विद्यालय और वाणिज्य सभा जैसी संस्थाओं को अपने पृथक् प्रतिनिधि मेजने का विशेष अधिकार है । अब मज़दूरों को यह अधिकार दिये जाने का विचार हो रहा है, और उन्हें यह शीघ्र ही मिल जाने की आशा है । परन्तु किसानों के लिये इस विषय का विचार न हो रहा है, और न होने की सम्भावना है । जब विशेष प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त मान लिया गया है तो उन्हें

इससे वंचित क्यों रखा जाता है ? परन्तु जैसा कि हम पहिले कह चुके हैं, हमें इस सिद्धान्त से ही विरोध है ।

पृथक् और जाति-गत निर्वाचक संघ न रहने चाहिये—हम पहिले यता आये हैं, कि जाति-गत निर्वाचक संघों की व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माग के आधार पर हुई है । यदि उन के जाति-गत निर्वाचक संघ न रहें तो सिखों की, अपने जाति-गत निर्वाचक संघ रखने की भी कोई माग नहीं रहती । परन्तु जब भारतवर्ष में रहने वाली जातियाँ इस प्रकार अपनी 'पृथक्ता' की घोषणा करती हैं तो सरकार के लिये योरोपियनों के पृथक् निर्वाचक संघ रखने की बात घनी घनायी है । सुनते हैं कि अछूतों को विशेष अधिकार देकर सरकार उनके साथ भी कुछ न्याय करने वाली है । स्थूल दृष्टि से बात ठीक ही मालूम पड़ती है । जब औरों को विशेष अधिकार हैं तो इन्हें भी क्यों न हो । परन्तु हम तो मूल सिद्धान्त का ही विरोध करते हैं । वास्तव में एक धार जाति-गत निर्वाचक संघों का श्री गणेश कर देने पर फिर उसका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता । नित्य नयी जाति उप-जातियाँ इस विषय की अपनी पृथक् पृथक् मांग उपस्थित करती रहती हैं । सरकार का उन्हें सतुष्ट करना अधिकाधिक कठिन होता जाता है । जितना वह एक जाति को सतुष्ट कर

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असंतोष तो घटता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी बढ़ती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बॉर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भीक, और स्वतंत्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहियें, इस विषय में हम यथास्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाटी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह मिश्रुकों की भाँति याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त घृणित और निंद्य प्रतीत होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

निर्वाचकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न लेना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का मेदवार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हैसियत या किसी अन्य स्वार्थ से, निर्वाचन में घनिष्ट सम्बन्धता है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य न्दोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के अज्ञानों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष करना पड़ता है, अखनीय महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रायः अभाव ही है। * निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और सस्थाओं को करने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे वारहों महीने के लेखों, भाषणों, ट्रेक्टों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते हैं। कुछ वर्ष पेसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी राजनैतिक जागृति यथेष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढ़ाना चाहिये—

इस की आशिक पूर्ति के लिये हमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। -
 ता है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की सहायभूति होगी, और वे इस रचना
 प्रचार में सहयोग करेंगे। —लेखक

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असंतोष तो घटता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी बढ़ती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भीक, और स्वतंत्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहियें, इस विषय में हम यथा स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाटी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह भिक्षुकों की भांति याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त घृणित और निन्द्य प्रतीत होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असंतोष तो बढ़ता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी बढ़ती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक संस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भीक, और स्वतंत्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहिये, इस विषय में स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं

के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी
निर्वाचकों के मत संग्रह
की भांति याचना करते

निर्णय प्रतीत होता है।

न करे और इस विषय में

अनुसार काम होने लगे। (देखो,

निर्वाचकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का उम्मेदवार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हैसियत से, या किसी अन्य स्वार्थ से, निर्वाचन में घनिष्ट सम्बन्ध होता है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य आन्दोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्र पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष करना पड़ता है, उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रायः अभाव ही है। — निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और सस्थाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे धारहों महीने लेखों, भाषणों, ट्रेक्टों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते रहें। कुछ वर्ष पेसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी राजनैतिक जागृति यथेष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढ़ाना चाहिये—

इस की आशिक पूर्ति के लिये हमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। —
 आशा है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की सहानुमति होगी, और वे इस रचना के प्रचार में सहयोग करेंगे। —लेखक

ने का प्रयत्न करती है, उतना ही अन्य जातियों के प्रति अनौचित्य होता है। इससे सरकार की निष्पक्षता जाती रहती है, और फल स्वरूप उसकी नैतिक शक्ति घटती जाती है।

निर्वाचन जैसे नागरिक कार्य में जाति-गत विचार होने से जनता में राजनैतिक असंतोष तो बढ़ता ही है। इस के अतिरिक्त, भिन्न जातियों में वैमनस्य फूट और कलह भी बढ़ती जाती है। क्या प्रत्येक जाति के बुद्धिमान आदमी मिलकर इस व्यवस्था के विरुद्ध लोक मत तैयार करेंगे और क्या सरकार राष्ट्र-हित की दृष्टि से विचार करेगी ?

उम्मेदवारों के सम्बन्ध में—भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सस्थाओं तथा म्युनिसिपैलिटियों और जिला-बोर्डों के लिये उम्मेदवार अनुभवी, योग्य, निर्भीक, और स्वतंत्र विचार तथा उच्च आदर्श वाले होने चाहिये, इस विषय में हम यथा स्थान लिख चुके हैं। हम यह भी दर्शा चुके हैं कि आधुनिक परिपाटी के अनुसार उम्मेदवारों को अपनी सफलता के लिये उद्योग करना, निर्वाचकों के मत संग्रह करने के लिये जगह जगह मिश्रुकों की भांति याचना करते फिरना, हमें अत्यन्त घृणित और निन्द्य प्रतीत होता है। अच्छा हो, कोई भी व्यक्ति यह कार्य न करे और इस विषय में श्री० दास स्वराज्य योजना के अनुसार काम होने लगे। (देखो, अध्याय ९)

निर्वाचकों को शिक्षित करने का विशेष प्रयत्न होना चाहिये—इस ओर अभी बहुत कम ध्यान दिया गया है। जब निर्वाचन का समय आता है तो जिन व्यक्तियों का उम्मेदवार या उसके एजेन्ट या मित्र आदि होने की हैसियत ले, या किसी अन्य स्वार्थ से, निर्वाचन में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है, वे सूचनायें या लेख छपवाते, भाषण दिलाते, तथा अन्य आन्दोलन करते हैं। परन्तु जन सधारण में इस विषय के सिद्धान्तों के प्रचार के लिये अभी कुछ प्रयत्न नहीं किया गया। इस विषय की जानकारी के लिये पाठकों को सामयिक पत्र पत्रिकाओं के कुछ लेखों पर सन्तोष करना पड़ता है, उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रायः अभाव ही है। * निर्वाचन विषयक शिक्षा का कार्य कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को अपने ऊपर विशेष रूप से लेना चाहिये, वे चारहों महीने लेखों, भाषणों, ट्रेक्टों तथा ग्रन्थों द्वारा इस कार्य को करते रहें। कुछ वर्ष ऐसा निरन्तर उद्योग होते रहने से ही, हमारी राजनैतिक जागृति यथेष्ट रूप में हो सकेगी।

जनता का निर्वाचन अधिकार बढ़ाना चाहिये—

इस की आशिक पूर्ति के लिये हमने यह क्षुद्र प्रयत्न किया है। आशा है राजनीति-प्रेमी सज्जनों की सहाय्यभूति होगी, और वे इस रचना के प्रचार में सहयोग करेंगे। —लेखक

भारतवर्ष में अभी बहुत कम व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश भारत की चौबीस करोड़ जनता में से कुल मिला कर केवल ७५ लाख ही निर्वाचन में मत दे सकते हैं, जब कि यहाँ उन मनुष्यों की संख्या, जो अपनी उमर या दिमागी हालत के कारण मताधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिये, सम्भवतः छ करोड़ होगी, और यदि स्त्रियों को सम्मिलित किया जाय तो इससे भी दुनी संख्या के व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिये। *

फिर यहाँ वर्तमान मताधिकार को, किसी भी कारण कम करने की जो बात उठती है, वह कहा तक ठीक है, यह विचारणीय है। कुछ सज्जनों ने जाति-गत दंगों के सम्बन्ध में, यह प्रश्न उठाया है, अतः इस, पर कुछ विचार करना आवश्यक है।

जाति-गत दंगे, और निर्वाचन—हम यह स्वीकार करते हैं कि जाति-गत दंगों का एक प्रधान कारण कुछ व्यक्तियों की राजनैतिक महत्वाकांक्षा है। अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिये वे लोगों के मजहबी दुराग्रह को बड़ी चतुराई

* इंग्लैंड में, कुल जनता में से लगभग आधे निवासी निर्वाचन में मत दे सकते हैं।

से उभारते रहते हैं। चूकि ये व्यक्ति वास्तविक झगड़ों से दूर रहते हैं, और प्रत्यक्ष में कानून के विरुद्ध कुछ नहीं करते, ये प्रायः अधिकारियों द्वारा दंडित भी नहीं होते। इस लिये डा० तेजबहादुर जी सप्रू, और प० मोतीलाल जी नेहरू आदि कुछ सज्जनों का विचार है कि हमें ऐसे आशय का कानून पास कराना चाहिये कि जिस किसी जिले में जाति-गत झगड़े हों उसके निवासियों का मताधिकार, तीन वर्ष के लिये छीन लिया जाय।

जाति-गत दंगों को दूर करने के इस उपाय की सफलता तथा न्याय-युक्तता पर हमें विल्कुल विश्वास नहीं। जो व्यक्ति गुप्त रूप से मजहदी दुराग्रह बढ़ाते हैं, वे उपर्युक्त प्रस्तावित व्यवस्था होजाने पर भी, यदि व्यवस्थापक सस्थाओं के लिये उम्मेदवार होना चाहेंगे, तो वर्तमान नियमों के अनुसार, दूसरे स्थानों से खड़े हो सकेंगे। फिर उन्हें दंड ही क्या मिला ? इस व्यवस्था से दंड मिलेगा, उन सहस्रों या लाखों नागरिकों को, जिनमें से अधिकांश का सर्वथा निरपराध होना सम्भव है। व्यवस्थापक सस्थाओं में इन बेचारों का कोई प्रतिनिधि न रहेगा और, इन्हें वे नियम मानने होंगे जो सरकार द्वारा नामज़द सदस्य बनायेंगे। जब कि भारतवर्ष में अभी बहुत अधिक लोगों को मताधिकार मिलने की आवश्यकता है, किसी नागरिक का प्रत्यक्ष घोर अपराध हुए बिना उसे इस से

वचित करदेना उसके साथ एव देश के साथ, महान अन्याय करना है ।

हमारी सम्मति मे जाति-गत झगडों का मूल कारण पृथक् पृथक् जाति-गत निर्वाचक संघों की व्यवस्था है । इसे हटाये बिना जाति-गत वैमनस्य और दंगों के अन्त होने की विशेष आशा नहीं । इस लिये हमें इस देश के शासन सुधार कानून में शीघ्र ऐसा परिवर्तन कराना चाहिये कि भविष्य में जाति-गत निर्वाचक संघ बिल्कुल न रहें । यदि हिन्दू मुसलमान आदि जातियों के पृथक् प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही हो तो इन जातियों के प्रतिनिधियों की सख्या निर्धारित कर देना ही पर्याप्त है—जैसा कि इस समय भी निर्धारित की हुई है । निदान, निर्वाचक संघ संयुक्त ही रहने चाहिये ।

जाति-गत दंगों के अतिरिक्त और भी किसी कारण से जनता का मताधिकार छीनने की कल्पना, प्रजातंत्र प्रणाली के भावों की घातक होने से अनुचित है । जनता के मताधिकार को तो बराबर बढ़ाने का ही लक्ष्य रखना चाहिये ।

उपसहार—ससार की अन्य अनेक प्रथाओं की भांति निर्वाचन प्रणाली भी पूर्ण नहीं कही जा सकती । इस में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं । जिन देशों में जनता बहुत शिक्षित है, तथा उन्नत मानी जाती है, और जहाँ यह प्रणाली बहुत

समय से प्रचलित हैं, वहा भी निर्वाचन आन्दोलन में बहुत सं
 दोष देगने में आते हैं, फिर भारतवर्ष में यदि इस विषय की
 कुछ शिकायतें हों तो क्या आश्चर्य है ? यहा पर तो केवल सात
 फी सदी स्त्री पुरुष ही शिक्षित हैं, और इस प्रणाली को कुछ
 विशेष रूप से प्रचलित हुए केवल छ सात वर्ष ही हुए हैं ।
 अस्तु, विचारशील सज्जनों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक
 प्रणाली के गुणों की रक्षा तथा वृद्धि करने के लिये, ऐसे
 सुधार करते रहें जिससे उस प्रणाली में विकार न बढ़ने पायें
 और वह अधिकाधिक उपयोगी हो । शुभम् ।

परिशिष्ट-१

भिन्न भिन्न प्रान्तों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या

प्रान्त	राज्य परिषद में	भारतीय व्यवस्थापक सभा में	प्रांतीय व्यवस्थापक परिषद में
मद्रास	५	१६	९८
बम्बई	६	१६	८६
बंगाल	६	१७	११३
संयुक्त प्रान्त	५	१६	१००
पंजाब	४	१०	७१
विहार-उड़ीसा	३	१२	७६
मध्य प्रान्त	०	६	५३
आसाम	१	४	३५
वर्मा	२	४	७८
देहली	०	१	०
योग	३४	१०४	७१४

फरिशीष्ट-३

युक्त प्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद् के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
मैर-मुसलमानों का	लखनऊ और फैजाबाद डिवीजन	१
"	आगरा, मेरठ, रुहेलखंड और कुमाऊ डिवीजन	१
"	इलाहाबाद, बनारस, झांसी, गोरखपुर डिवीजन	१
मुसलमानों का	इलाहाबाद, झांसी, आगरा रुहेलखंड, मेरठ, और कुमाऊ डिवीजन	१
"	लखनऊ, फैजाबाद, बनारस और गोरखपुर डिवीजन	१

(ख) भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, गैर-मुसल-मानों का	आगरा, मेरठ, कानपुर, बनारस इलाहाबाद, चरेली और लखनऊ की म्युनिसिपैलिटियां और छावनिया	१
ग्रामीण, गैर-मुसल-मानों का	मेरठ डिवीजन (मेरठ शहर छोड़ कर)	१
”	आगरा डिवीजन (आगरा शहर छोड़ कर)	१
”	रहेलखंड और कुमाऊ डिवीजन (चरेली शहर छोड़ कर)	१
”	इलाहाबाद और झांसी डिवीजन (इलाहाबाद और कानपुर शहर छोड़ कर)	१
”	बनारस और गोरखपुर डिवीजन (बनारस शहर छोड़ कर)	१
”	लखनऊ डिवीजन (लखनऊ शहर छोड़ कर)	१
”	फैजाबाद डिवीजन	१

निर्वाचक सभ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, मुसलमानों का	आगरा, मेरठ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, बरेली और लखनऊ की म्युनिसिपैलिटिया और छावनिया	१
प्रामीण, मुसलमानों का	मेरठ डिवीजन (मेरठ शहर शहर छोड़ कर	१
”	आगरा डिवीजन (आगरा शहर छोड़ कर	१
”	रहेलखंड और कुमाऊ डिवीजन (बरेली शहर छोड़ कर)	१
”	इलाहाबाद, बनारस, रांसी, और गोरखपुर डिवीजन (इलाहाबाद, बनारस और कानपुर शहर छोड़ कर)	१
”	सगनऊ और फैजाबाद डिवीजन (सगनऊ शहर छोड़ कर)	१
योगेधियों का	युक्त प्रान्त	१
अन्य देशों का (विदेश)	युक्त प्रान्त	१

निर्वाचक सभ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
प्राचीण, गैर—मुसलमानों	बुलन्दशहर जिला—खुर्जा, सि कन्दराबाद तहसीले	१
” ”	अलीगढ जिला—अलीगढ, अत रौली सिकन्दराराऊ तहसीले	१
” ”	अलीगढ जिला—हाथरस, इग- लास, खैर तहसीले	१
” ”	मथुरा जिला	१
” ”	आगरा ”	१
” ”	भैरपुरी ”	१
” ”	एटा ”	१
” ”	बरेली ”	१
” ”	बिजनौर ”	१
” ”	बदायूँ ”	१
” ”	मुरादाबाद ”	१
” ”	शाहजहापुर ”	१
” ”	पीलीभीत ”	१
” ”	झासी ”	१
” ”	जालौन ”	१
” ”	हमीरपुर ”	१

(ग) युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, गैर-मुसल-	आगरा शहर	१
मानों का	कानपुर ”	१
” ”	इलाहाबाद ”	१
” ”	लखनऊ ”	१
” ”	बनारस ”	१
” ”	घरेली ”	१
” ”	मेरठ-अलीगढ़ जिले	१
” ”	मुरादाबाद-शाहजहापुर ज़िले	१
” ”	देहरादून ज़िला	१
ग्रामीण	सहारनपुर ”	१
” ”	मुजफ्फरनगर ”	१
” ”	मेरठ जिला—भद्वाना, बागपत, सरधना तहसीलें	१
” ”	मेरठ जिला—हापुड, गाज़िया- बाद, मेरठ तहसीलें	१
” ”	बुलन्दशहर जिला—बुलन्दशहर, अनूपशहर तहसीलें	१

निर्वाचक मण्डल का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
प्रामीण, गैर-मुसलमानों का	गढ़वाल जिला	१
" "	लखनऊ "	१
" "	उत्तराखण्ड "	१
" "	रायबरेली "	१
" "	सीतापुर "	१
" "	हरदोई "	१
" "	रोही "	१
" "	फैजाबाद "	१
" "	गोंडा "	१
" "	बहराइच "	१
" "	मुलतानपुर "	१
" "	परताबगढ़ "	१
" "	बाराबंकी "	१
" "	गाजीपुर "	१
नागरिक, मुसलमानों का	इलाहाबाद-बनारस जिले	१
" का	लखनऊ-कानपुर "	१
" "	आगरा-मेरठ-अलीगढ़ "	१
" "	बरेली-शाहजहाँपुर-मु०	१
प्रामीण	देहरादून जिला	१

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र		प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण.गेर-मुसलमानों का	वाड़ा	जिला	१
" "	फर्रुखाबाद	"	१
" "	इटावा	"	१
" "	कानपुर	"	१
" "	फतेहपुर	"	१
" "	इलाहाबाद	"	१
" "	बनारस	"	१
" "	मिर्जापुर	"	१
" "	जौनपुर	"	१
" "	बलिया	"	१
" "	गोरखपुर जिला—महाराजगंज,		१
" "	गोग्गपुर, बासगाव तहसीले		१
" "	गोरखपुर जिला—पडरौना,		१
" "	हाटा, देवरिया तहसीले		१
" "	यस्ती	जिला	१
" "	आजमगढ	"	१
" "	नैनीताल	"	१
" "	अलमोरा	"	१

निर्याचक संघ का नाम	निर्याच क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, गैर-मुसलमानों का	गढ़वाल जिला	१
" " "	रुगनऊ " "	१
" " "	उमाथ " "	१
" " "	रायबरेली " "	१
" " "	चीठापुर " "	१
" " "	हरदोई " "	१
" " "	खेरी " "	१
" " "	फैजाबाद " "	१
" " "	गोंडा " "	१
" " "	बहराइच " "	१
" " "	मुलतानपुर " "	१
" " "	परताबगढ़ " "	१
" " "	बाराबंकी " "	१
" " "	गाज़ीपुर " "	१
नागरिक, मुसलमानों का	इलाहाबाद-बनारस जिले	१
" " "	लखनऊ-कानपुर " "	१
" " "	आगरा-मेरठ-अलीगढ़ " "	१
" " "	बरेली-शाहजहापुर-मुरादाबाद, "	१
ग्रामीण	देहरादून जिला	१

निर्वाचक सघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, मुसलमानों का	सहारनपुर जिला	१
, गैर मुसलमानों का	मेरठ जिला	१
" "	मुजफ्फरनगर "	१
" "	विजनौर "	१
" "	बुलन्दशहर "	१
" "	अलीगढ़-मथुरा आगरा जिले	१
" "	मैनपुरी एटा-फर्रुखाबाद "	१
" "	इटावा-कानपुर फतेहपुर "	१
" "	झांसी डिवीजन	१
" "	इलाहाबाद-जौनपुर-मिर्जापुर जिले	१
" "	बनारस गाज़ीपुर बकिया-आजम-	१
" "	गढ़ जिले	१
" "	गोरखपुर जिला	१
" "	वस्ती "	१
" "	मुरादाबाद जिला-मुरादाबाद,	१
" "	ठाकुरद्वारा-अमरोहा तहसीले,	१
" "	मुरादाबाद जिला-हसनपुर,	१
" "	सम्बल, बिलारी तहसीले	१
" "	बदायूं जिला	१

निर्वाचक सभ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, गैर मुसलमानों का	शाहजहापुर जिला	१
" "	बरेली जिला	१
" "	कुमाऊ डिवीजन और पीली-भीत जिला	१
" "	गोंडा बहराइच जिले	१
" "	खेरी सीतापुर "	१
" "	हरदोई लखनऊ-उनाव "	१
" "	फैजाबाद-बाराबंकी "	१
" "	सुल्तानपुर-परताबगढ़-रायबरेली	१
यूरोपियन	युक्त प्रांत	१
भागरा जमींदारों का	भागरा, मेरठ, रुहेलखंड और कुमाऊ डिवीजन	१
" "	शासी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बनारस डिवीजन	१
तालुकेदारों के	युक्त प्रांत	४
अपर इंडिया चेम्बर-ऑफ-कामर्स का	अपर इंडिया चेम्बर-ऑफ-कामर्स	२
युक्त प्रांतीय चेम्बर ऑफ कामर्स	युक्त प्रांतीय चेम्बर-ऑफ-कामर्स	१
विश्व विशालय	प्रयाग विश्व विशालय	१

परिशिष्ट-३

मध्यप्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद् के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
साधारण	मध्य प्रान्त	१

(ख) भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
गैर-मुसलमानों का	नागपुर डिवीजन, (चादा ज़िले की सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
"	नर्बदा, जबलपुर, छत्तीस गढ़ डिवीजन (मांडला म्युनिसिपैलिटी के अतिरिक्त, शेष मांडला ज़िला छोड़कर)	२
मुसलमानों का	मध्यप्रान्त (सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
जमींदारों का	मध्यप्रान्त	१

(ग) मध्य प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के लिये *

निर्वाचक मण्डल का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
नागरिक, गैर-मुसलमानों का	जबलपुर शहर	१
"	जबलपुर विधीजन	१
"	छत्तीसगढ़ "	१
"	नरसदा "	१
"	नागपुर-कामटी	२
"	नागपुर विधीजन	१
श्रामीण	जबलपुर जिला—जबलपुर, पाटन तहसीलें	१
"	जबलपुर जिला—जबलपुर पाटन तहसीलें छोड़कर, नेव ।	१
"	दमोह जिला	१
"	सगर "	१
"	मिर्जापुर "	१
"	रायपुर जिला—रायपुर, बलौना—	
"	बागा तहसीलें	१

* इस कोष्ठक में दिये गये प्रतिनिधियों के अतिरिक्त प्रत्येक मण्डल का एक से अधिक निर्वाचित होने हैं । वे नरसदा दिये जाकर मध्यप्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधि समूह में अंगे हैं ।

परिशिष्ट-३

मध्यप्रान्त के निर्वाचक संघ और प्रतिनिधि

(क) राज्य परिषद् के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
साधारण	मध्य प्रान्त	१

(ख) भारतीय व्यवस्थापक सभा के लिये

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
शैर-मुसलमानों का	नागपुर डिवीजन, (चादा जिले की सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
"	नर्मदा, जब्बलपुर, छत्तीस गढ डिवीजन (मांडला म्युनिसिपैलिटी के अतिरिक्त, शेष मांडला जिला छोड़कर)	२
मुसलमानों का	मध्यप्रान्त (सिरोंचा तहसील छोड़कर)	१
जमींदारों का	मध्यप्रान्त	१

निर्वाचक सभ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, मुसलमानों का	छत्तीसगढ़ डिवाजन	१
" "	नर्बदा डिजिजन	१
" "	नागपुर "	१
जमींदारों का	जन्डलपुर और नर्बदा "	१
" "	नागपुर और छत्तीसगढ़ "	१
विश्वविद्यालय का	मध्यप्रान्तीय विश्वविद्यालय	१
खण्ड	मध्यप्रान्त और चरार की ख-	
	ण्ड सभा	१
वाणिज्य और उद्योग	मध्यप्रान्त	१

निर्वाचक संघ का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	प्रतिनिधियों की संख्या
ग्रामीण, गैर मुसलमानों का	रायपुर जिला—धूमतरी, मह- सामद तहसीलें	१
" "	विलासपुर जिला	१
" "	द्रुग " "	१
" "	होशंगाबाद " "	१
" "	निमाड़ " "	१
" "	नरसिंहपुर " "	१
" "	छिंदवाड़ा " "	१
" "	वैतुल " "	१
" "	नागपुर जिला—नागपुर, राम- टेक तहसीलें	१
" "	नागपुर जिला—नागपुर, राम टेक तहसीलें छोड़कर	१
" "	वर्धा तहसील	१
" "	वर्धा जिला	१
" "	चांदा जिला	१
" "	भण्डारा " "	१
" "	वालाघाट " "	१
ग्रामीण, मुसलमानों का	जम्बलपुर डिवीजन	१

प्रस्तावक का नाम _____

निर्वाचक सघ की निर्वाचक
सूची में प्रस्तावक का नम्बर* } _____

प्रस्तावक के हस्ताक्षर _____

समर्थक का नाम _____

निर्वाचक सघ की निर्वा-
चक सूची में समर्थक का
नम्बर } _____

समर्थक के हस्ताक्षर _____

उम्मेदवार का ध्यान

मैं इस प्रस्ताव से महमत हू ।

ता० _____ उम्मेदवार के हस्ताक्षर _____

(नामजदगी-अफसर या अन्य अधिकारी द्वारा
भरे जाने के लिये)

क्रमागत सख्या *** **

पहुच का सार्टिफिकेट

यह प्रस्ताव पत्र मेरे पास मेरे कार्यालय में ता० * *** को * *
घन्टे के समय दिया गया ।

* यदि निर्वाचक सूची कई भागों में विभक्त है, और प्रत्येक भाग
के निर्वाचकों की क्रमागत सख्या पृथक् पृथक् है, तो जिस भाग में प्रस्तावक
का नाम दर्ज है उस भाग का व्पौग भी यहाँ दिया जाना चाहिये ।

परिशिष्ट-४

व्ययस्थापक सस्थाओं की उम्मेदवारी के प्रस्ताव-पत्र का नमूना

उस निर्वाचक संघ का
नाम, जिसकी उम्मेदवारी के
लिये प्रस्ताव किया जाता है,

उम्मेदवार का नाम,

पिता का नाम,

आयु,

पता,

जाति + (गैर-मुसलमान,
मुसलमान, भारतीय ईसाई,
सिख, योरोपियन, या ऐंग्लो
इंडियन) ।

उस निर्वाचक संघ का नाम,
जिसकी निर्वाचक सूची में
उम्मेदवार का नाम, निर्वा-
चकों में दर्ज है,

उक्त निर्वाचक संघ की
निर्वाचक सूची में उम्मेदवार
का नगर ।

+ विद्येय निर्वाचक संघ में इसके लिखने की आवश्यकता नहीं ।

क्रम संख्या	व्यक्ति	नाम	पिता का नाम	पेशा	पता	निर्वाचक सूची में नम्बर	वाँटें	श्रेणी	हस्ताक्षर या चिह्न
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्रस्तावक	::	.	.		::
२	समर्थक	..	::		::	::	.		.

उम्मेदवार के हस्ताक्षर या चिह्न (यदि वह उपस्थित हो), यह दर्शाने के लिये, कि वह अपनी उम्मेदवारी के प्रस्ताव से सहमत है ।

तारीख—

नामजदगी-अफसर के हस्ताक्षर ।

नामज़दगी—अफसर या अन्य अधिकारी की
जाच का सर्टिफिकेट

मैंने उम्मेदवार तथा प्रस्तावक और समर्थक की योग्यता की जाच करली है और मुझे मालूम हुआ है कि ये व्यक्ति क्रमशः उम्मेदवार होने तथा उम्मेदवार का प्रस्ताव और समर्थन करने के योग्य हैं।

न मज़दगी—अफसर या अन्य अधिकारी

परिशिष्ट-५

युक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटीयों की
उम्मेदवारी का प्रस्ताव—पत्र

... .. की म्युनिसिपैलिटी.

.. "वार्ड की" .. श्रेणी के उम्मेदवारों का निर्वाचन जो
ता० .. १९२२ को होगा।

हम निम्न लिखित व्यक्ति, जो निर्वाचक हैं, और जिनका नाम
है की श्रेणी की निर्वाचक सूची में दर्ज है उपर्युक्त निर्वाचन के
लिये ... की उम्मेदवारी का प्रस्ताव करते हैं। यह ... का पुत्र
है इस का पेशा ' ' है। यह " " का निवासी है। इस का
नाम " " वार्ड की" .. श्रेणी की निर्वाचक सूची में ... सख्या पर
दर्ज है।

क्रम संख्या	व्योरा	नाम	पिता का नाम	पेशा	पता	निर्वाचक सूची म नम्बर	वाँटे	श्रेणी	हस्ताक्षर या चिन्ह
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	प्रस्तावक
२	समर्थक

उम्मेदवार के हस्ताक्षर या चिन्ह (यदि यह उपस्थित हो), यह दर्शाने के लिये, कि यह अपनी उम्मेदवारी के प्रस्ताव से सहमत है ।

तारीख—

नामजदगी-अफसर के हस्ताक्षर ।

परिशिष्ट-६

निर्वाचन-पत्र का नमूना

(सामने की ओर)

उम्मेदवार का नाम	निर्वाचक का चिन्ह X या + ।
गाम	
गोविन्द	
मोहन	
सोहन	

(पीछे की ओर आदेश)

- (१) जितने उम्मेदवारों को तुम मत दे सकते हो, उन की मख्या है ।
- (२) जिस उम्मेदवार को तुम मत देना चाहो उसके नाम के सामने जिन उम्मेदवारों उसके उनसे नाम के सामने X या + चिन्ह लगाओ ।
- (३) यह चिन्ह से अधिक के सामने नहीं लगाया जाना चाहिये ।

भारतवर्षीय हिन्दी अर्थ शास्त्र परिपद

(स्थापित मार्च १९२३)

समापति पञ्चोकरण नाथजी मिश्र, एम ए वी एल, लखनऊ
 मन्त्री ० { प० दयाशकर जी दुबे, एम० ए०, एलएल० वी०
 श्रीयुत जयदेव जी गुप्त वी काम

इस परिपद का उद्देश्य जनता में हिन्दी द्वारा अर्थ शास्त्र का ज्ञान फैलाना और हिन्दी में अर्थ शास्त्र का साहित्य बढ़ाना है। कोई भी सज्जन १) प्रवेश फी और १) रुपया वार्षिक देकर इस परिपद का सदस्य हो सकता है। प्रत्येक देश हितैषी को चाहिये कि इस परिपद के कार्य में योग देकर इस गरीब देश के आर्थिक उत्थान में सहायक हो। परिपद के सदस्य को परिपद द्वारा संपादित अथवा प्रकाशित पुस्तक, भारतीय ग्रन्थमाला की सब पुस्तकें और निबन्ध, एव यदरी केशर यात्रा पुस्तक पाने मूल्य में मिल सकेंगी।

इस परिपद की सम्पादन समिति अर्थ शास्त्र सम्प्रन्धी लेख या पुस्तकें बिना मूल्य सम्पादित करती हैं। इस विषय के लेखकों को इससे लाभ उठाना चाहिये। निम्न लिखित पुस्तकें सम्पादित हो चुकी हैं —

१—भारतीय अर्थ शास्त्र (प्रथम भाग), लेखक-भी० भगवान दास कला, मूल्य १॥)

२—भारतीय अर्थ शास्त्र, दूसरा भाग (छप रहा है) मूल्य लगभग २॥)

३—विदेशी विनियम, लेखक-श्री दयाशकर जी दुबे एम ए, मूल्य १॥)

४—भारत के उद्योग धंधे, (छप रही है) मूल्य लगभग ॥)

दारागज }
 प्रयाग }

दयाशकर दुबे
 एम ए एल एल वी
 मन्त्री

भारतीय निबन्ध माला

भारतीय निबन्धमाला के प्रत्येक निबन्ध का विषय बहुत व पूर्ण रहता है। पृष्ठ संख्या २६ से २० तक, और मूल्य एक होता है। निम्न लिखित निबन्ध छप गये हैं --

(१) हिन्दी भाषा में अर्थ शास्त्र; लेखक—श्री० भगवानदास केला

(२) हिन्दी भाषा में राजनीति, लेखक—श्री० देवी प्रमाद सकनेना, विशारद

(३) हमारा प्राचीन गौरव—(मनोहर वार्तालाप); लेखक—श्री० आनन्द भिक्षु

कुछ सम्मतियों का सारांश

—सस्ते और छोटे छोटे ट्रेक्टों द्वारा आवश्यक विषयों पर आवश्यक को मुलभ बनाने की यह विधि सर्वथा प्रशंसनीय और उपयोगी है।

—ज्योति

—निबन्ध अच्छे और उपयोगी है।

—माग्वशी

—बहुत अच्छे ट्रेक्ट है। ऐसे ट्रेक्टों का प्रचार होना चाहिये।

—शंकर

—भ्रष्ट साहित्य प्रकाशित कर जन साधारण में जागृति के प्रसार यह प्रयत्न सराहनीय है। आशा है हिन्दी जगत निबन्ध माला का

उत्तम आदर कर श्री० मला नी को उत्साहित करेगा।

—प्रेम

भारतीय ग्रन्थमाला के स्थायी आइकों, और प्रचारकों को निबन्ध आधे मूल्य में दिये जाते हैं। साहित्य प्रेमी, माला में सहयोग करें।

व्यवस्थापक

भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन

भारतीय ग्रन्थमाला

सक्षिप्त इतिहास और उद्देश्य-प्रेमी और जिज्ञासु पाठकों के लिये यह भारतीय ग्रन्थमाला सम्बन्धी कुछ मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं ।

एफ० ए० पास करने के तीन साल बाद सन् १९१३ ई० में बी० ए० की पढाई आरम्भ करने का हमारा एक उद्देश्य राजनीति (इतिहास) और अर्थशास्त्र अध्ययन करना था । उक्त वर्ष के अन्त में हम ने ' माहेश्वरी ' पत्र के लिये ' हमारे पाठ्य विषय ' शीर्षक एक लेख माला * लिखी, उसमें अन्यान्य विषयों में उपयुक्त विषयों का महत्त्व और इनका दूसरों से सम्बन्ध दर्शाया । बी० ए० में इन विषयों की शिक्षा ओर उक्त लेखमाला का अनुभव प्राप्त करते हुए, यह निश्चय किया गया कि इन विषयों पर कुछ पाश्चात्य एवं भारतीय विचार हिन्दी भाषा में पुस्तक रूप से प्रकट किये जाय । अस्तु, परीक्षा देने ही सन् १९१५ ई० में भारतीय ग्रन्थमाला का श्री गणेश करने वाली ' भारतीय शासन ' पुस्तक की रचना की गयी । सुहृदों की कृपा से उसके प्रकाशित हो जाने पर आगे के लिए उत्साह वृद्धि हुई । परिस्थिति अनुसार नयी नयी रचनाओं का प्रयत्न होता रहा । समय समय पर अन्य मित्रों से भी साहित्य काय में योग देने के लिये अनुरोध किया गया । इस समय

तक जो थोड़ा बहुत कार्य बन आया है, वह पाठकों के सम्मुख है।

भावी कार्य क्रम—हमने 'भारतीय राष्ट्र 'निर्माण' (प्रथम संस्करण) की प्रस्तावना में कहा था कि भारतीय ग्रन्थ माला के सम्बन्ध में "भविष्य के लिए हमारी आकांक्षा इतनी बड़ी हुई है कि उस की कुछ निश्चित रूप से विज्ञप्ति देने में नकोच होता है। प्रेमी पाठक इतनाही जान कर सन्तोष करें कि हमारे मन में जन्म भूमि की जागृति सम्बन्धी नवीन लहरों का उदय हो रहा है, हम अपने देश की महान आवश्यकताओं और विशाल उत्साहायित्व का विचार कर रहे हैं, संसार में भारत का क्या स्थान तथा कर्तव्य है, यह सोच रहे हैं, भारत माता के दीन हीन होते हुए भी भारतीय सभ्यता अभी तक किस उद्देश्य पूर्ति के लिए जीवित है, अथवा जगत की अधिकांश दुखी जनता के लिये इसे क्या कल्याणकारी संदेश देना है, इसका चिन्तन व मनन कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा हुई और सहृदयों की सहायता मिली तो हम अपनी वर्ग गाठ के साथ साथ इस ग्रन्थ माला में उपर्युक्त भावों से पूरित एक एक दी दी दाने जोड़ते रहेंगे।" इससे अधिक कुछ और कह कर हम पाठकों की वृथा बड़ी २ आंशायें दिलाना नहीं चाहते।

आप क्या सहायता कर सकते हैं?—इस सम्बन्ध में आपके विचारार्थ हमारा साधारण वक्तव्य इस प्रकार है —

(१) कुछ महाजयों ने हमें भिन्न भिन्न पुस्तकों के प्रकाशन में आर्थिक सहायता दी है, आप भी अपनी शक्ति और भावना के अनुसार सहायता कर सकते हैं, इसके उपलक्ष

में जिस सस्था को आप कहेंगे उसे उतनी रकम तक की पुस्तकें प्रदान की जावेंगी ।

(२) हमारी पुस्तकें राष्ट्रीय एवं सरकारी कई सस्थाओं के लिये स्वीकृत हैं । अन्य सस्थाओं के अधिकारियों को भी चाहिये कि वे अपने यहाँ इन्हें जारी करके अथवा पारितोषिक में वेकट प्रचार कार्य में योग दें ।

(३) साधारण पाठकों को चाहिये कि वे हमारी जिस पुस्तक को अवलोकन करें उसका अपने सहवासी मित्रों में प्रचार करें । इस प्रकार साधारण स्थिति के व्यक्ति भी हमें बहुत सहायक सिद्ध होंगे ।

(४) भिन्न २ विद्वान् हमारी रचनाओं के सम्बन्ध में अपना मत प्रकाशित करें और उनमें आगामी संस्करणों के लिये संशोधन या सुधार की बातें बतलावें तथा किस विषय की पुस्तक की रचना में वे अपने सुविचारों से हमारी सहायता कर सकते हैं, यह सूचित करें ।

(५) यदि आप पुस्तक विक्रेता हैं तो अन्यान्य उपयोगी ग्रन्थों के साथ " भारतीय ग्रन्थमाला " की पुस्तकों के भी प्रचार का प्रयत्न करें । यथोचित कमीशन दिया जायगा ।

अब आप अपनी परिस्थिति के अनुसार यह निश्चय करलें कि आप इस शुभ कार्य में न्याय योग दे सकते हैं ।

विनीत

भगवानदास केला

लेखक की रचनाएँ; भारतीय ग्रन्थशाला

संख्या	पुस्तक	सन	संस्करण	प्रतिया	विशेष वक्तव्य
१	भारतीय शासन	१९१५	पहिला	एक हजार	(क) मध्य प्रान्त और बरार के हाई-स्कूलों की पाठ विधि में सम्मिलित और नामल स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत ।
	"	१९१६	दूसरा	एक हजार	(ख) बडादा राज्य के स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत ।
	"	१९२२	तीसरा	एक हजार	(ग) हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा की पाठ विधि में सम्मिलित ।
	"				(घ) संयुक्त प्रान्त के वर्नाक्यूलर और वेदलो वर्नाक्यूलर स्कूल पुस्तकालयों के लिये सिरारियों की गयी ।
	"				(च) कइ स्कूलों, विद्यालयों, स्थानीय प्रम महाविद्यालय और गुरुकुल का पाठ विधि में सम्मिलित ।

२	'भारतीय विद्यार्थी विनोद' या "हमारे पाठ्य और निवारणीय विषय"	१९१६	पहिला	डेढ़ हजार	(क) मध्य प्रान्त और बरार के वर्नाम्यूलर, पेड़लो वर्नाम्यूलर, मिडिल, हाई, और नामल स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये, एच पारितोपिक के लिये स्वीकृत । (ख) वडोदा राज्य के स्कूल पुस्तकालयों के लिये स्वीकृत । (ग) प्रेम महाविद्यालय की पाठ विधि में सम्मिलित ।
३	भारतीय राष्ट्रनिर्माण "	१९१६ १९२३	पहिला दूसरा	एक हजार एक हजार	कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा अपनायी गयी ।

पं० ईश्वरी प्रसाद जी अलीगढ़,
रचित मनीहर, देश भक्तिपूर्ण और
शिक्षाप्रद पद्य रचनायें।

एक हजार

पहिला

१६१६

मातृ वन्दना ।
अन्योक्ति तरङ्गिणी

४
५

"

"

"

प्रेम महाविद्यालय की पाठ विधि
में सम्मिलित ।

एक हजार

पहिला

१६२०

भारतीय जागृति

६

मारवाडी शिक्षा मण्डल से (१२५)
पुरस्कार प्राप्त ।

डेढ हजार

पहिला

१६२०

देशभक्त दामोदर

७

प्रेम महाविद्यालय की पाठनिधि
में सम्मिलित ।

दो हजार

पहिला

१६२३

भारतीय अर्थशास्त्र

×

अभी छपी है ।

एक हजार

पहिला

१६२३

भारतीय-चिन्तन

८

अभी छपी है ।

दो हजार

पहिला

१६२३

भारतीय राजस्व

९

पाठकों की सूचनार्थ हमारी पुस्तकों का संक्षिप्त परिचय
की विषय सूची तथा उन पर आयी हुई मुख्य मुख्य
मालोचनाओं का सारांश आगे दिया जाता है।—

‘भारतीय शासन (तीसरा संस्करण), इसकी
पयोगिता और सर्वप्रियता का एक प्रमाण यही है कि थोड़े से
समय में इस का तीसरा संस्करण प्रकाशित हो चुका। यह
स्तक कई स्कूलों और राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ायी जाती है।
न्य संस्थाओं में भी जारी होनी चाहिये। प्रत्येक नागरिक के
लिए यह ज्ञानदा अत्यन्त आवश्यक है कि उसके भक्ति भाजन
देश में राज्य की कल किस प्रकार चलती है। पृष्ठ संख्या
५८, मूल्य ॥३॥ मात्र।

विषय सूची—१-ऐतिहासिक उपोद्घात, २-इंग्लैंड की राज्य
व्यवस्था, ३-भारतीय शासन नीति विकास, ४-भारत मंत्री और इण्डिया
कौंसिल, ५-भारत सरकार, ६-भारतीय व्यवस्थापक विभाग, ७-प्रान्तिक
सरकार, ८-प्रान्तिक व्यवस्थापक, पविर्दे ९-जिले का शासन, १०-स्थानीय
संस्थाएँ, ११-सरकारी आर्थिक व्यवस्था, १२-देशी सियामतें, १३-भारतीय सेना,
१४-पुलिस और जेल, १५-कानून और न्याय, १६-शिक्षा प्रचार,
१७-स्वास्थ्य रक्षा, १८-सार्वजनिक कार्य।

“बड़ी अच्छी पुस्तक है, सामयिक है, शासन से सम्बन्ध
रखने वाली बातों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करने के लिये आइने का
काम देने वाली है”। —“सरस्वती”

—वास्तव में यह पुस्तक साधारण लोगों के लिये राजनैतिक
नेता, विद्यार्थियों के लिए शिक्षक, राजनीतिज्ञों के लिए, ज्ञान
वर्द्धक और सम्पादकों के लिये सुवर्ण-जड्डों का सटूक है।

—“हिन्दी” (दक्षिण अफ्रीका)

—वर्तमान भारतीय शासन पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के

लिये हिन्दी भाषा में इससे उच्चतर अन्य कोई पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। - 'जयाजी प्रताप'

भारतीय विद्यार्थी विनोद (दूसरा संस्करण), भारतीय विद्यार्थियों-भावी विद्वानों और देश सेवकों के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। इसमें मुख्य मुख्य पाठ्य विषयों की आलोचना, उन का महत्त्व और पारस्परिक सम्बन्ध तथा कई विचारणीय विषयों पर उपयोगी विचार हैं। पृष्ठ संख्या, परिशिष्ट के अतिरिक्त ६२, मूल्य १/१ मात्र।

विषय सूची—प्रथम खंड—हमारे पाठ्य विषय, १-भाषा, २-गणित, ३-विज्ञान, ४ भूगोल, ५-इतिहास, ६-सम्पत्ति शास्त्र, ७-नीति, ८-तर्क शास्त्र। दूसरा खंड-विचारणीय विषय, १-भारत वर्ष में राष्ट्र-भाषा का प्रश्न २-मातृ भाषा में प्रेम, ३-हमारी मातृ भाषा, ४-हमारी आदतें, ५-आत्मोन्नति ६-आजकल के पाहुने ७-मानवी सुख दुःख पर एक दृष्टि, ८-जीवा यात्रा।

पुस्तक नये ढंग की और योरोपीय उदाहरणों से विभूषित उर्तेजनाकारक है। ऐसी ऐसी पुस्तकों की आवश्यकता भी है।

सम्मेलन पत्रिका

राष्ट्र भाषा में ऐसी पुस्तक का प्रकाशित होना राष्ट्र भाषा के सौभाग्य का सूचक है। - 'चाद', अप्रैल, मई १९१६।

भारतीय राष्ट्रनिर्माण (दूसरा संस्करण) इस समय चहु ओर राष्ट्रीयता की लहर चल रही है। क्या भारतवर्ष को भी राष्ट्र बनना चाहिये? वह राष्ट्र किस प्रकार बन सकता है? स्वाधीनता और स्वात्मबलके क्या क्या उपाय हैं? भारतवर्ष को जगत में क्या महान उद्देश्य पूरा करना है, इन बातों को जानने और प्रस्तुत राष्ट्रीय समस्याओं को शान्ति व गम्भीरता पूर्वक विवेचन करने के लिये इस पुस्तक का पठन व

मनन आवश्यक है। लगभग दो सौ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥१॥ मात्र।

विषय सूची—प्रथम खंड--विषय प्रवेश, १--राष्ट्र की उत्पत्ति, २--भारतीय राष्ट्र की आवश्यकता, ३--भारतवर्ष की एकता। दूसरा खंड--हमारा समाज यत्न, १--भारतीय जनता, २ सदाचार, ३--शिक्षा, स्वास्थ्य और भाजीवृक्षा, ४-संगठन--धिया, दलितोद्धार, और शुद्ध, ५-भारतीय हिन्दू मुसलमान। तीसरा खंड-राष्ट्रीयता के भावों का विकास, २--राष्ट्र-प्रेम और सेवा २-राष्ट्रीय शिक्षा, ३--राष्ट्रीय साहित्य, ४--राष्ट्रीय छटा। चौथा खंड-स्वाधीनता, कांग्रेस और स्वराज्य आन्दोलन, २--सत्याग्रह और असहयोग।

—इस में बहुत ही योग्यता और स्वतन्त्रता से विचार किया गया है। भाषा सरस है।

—ललिता,

—निस्संदेह भारतीय राष्ट्र निम्नार्ण की चडाभारी सामग्री का समावेश इस छोटी पुस्तक में कर के लेखक ने मानों गागर में सागर भर दिया है। —‘मारवाडी’

मातृ वन्दना—श्री० ईश्वर कवि रचित इस पुस्तक में सात दर्शन हैं और मातृ—भूमि के प्रति अगाध भक्ति का भाव उत्पन्न करने वाली, पूजा पाठकी समुचित सामग्री है। प्रेमों भारत सन्तान, एक धार इसका आनन्ददायी पाठ तो कीजिये। पृष्ठ संख्या ८६; मूल्य ॥) मात्र।

अन्योक्ति तरंगिणी—श्री० ईश्वर कवि प्रणीत इस रचना की सात तरंगों में ८१ अन्योक्तियाँ हैं। गाने वालों के लिए गान की सामग्री है, पुरातन कविता प्रेमियों के लिए उस ढंग की रचना का समावेश है, भक्तों के लिए भक्ति का साधन और समालोचकों के लिए विवेचना का मूल है। पृष्ठ संख्या ६६। मूल्य ॥) मात्र।

भारतीय जागृति—इस पुस्तक में गत शताब्दि के भारतीय इतिहास के विविध अङ्गों के वर्णन के साथ साथ आधुनिक परिस्थिति के लिये विचार करने की बहुत कुछ सामग्री है। इसे अपलोकन कर आप अपने महान कर्तव्य का पालन कीजिये भारतीय जागृति ससार के कल्याण का सदेश है। पृष्ठ सरया दो सौ से अधिक; मूल्य १) मात्र।

विषय सूची—१—जागृति के कुछ सिद्धान्त, २—भारतीय जागृति का सामान्य विवेचन, ३—धार्मिक पुनरुत्थान, ४—समाज सुधार ५—कृषि कथा, ६—औद्योगिक विवरण, ७—शिक्षा प्रचार, ८—साहित्य-वृद्धि, ९—राजनैतिक विकास, १०—भारतीय ध्येय।

—इस पुस्तक में केलाजी ने विविध प्रकार की जागृति का सजीव चित्र रींचा है। —‘ज्योति’

—देश को आज ऐसेही साहित्य की जरूरत है।—‘छात्र सहोदर’
—पुस्तक युवकों के ही लिये ही, वरन नये हिन्दी लेखकों के लिए भी बड़ा काम दे सकेंगे। —‘चित्रमय जगत’

देशभक्त दामोदर—यह स्व० सेठ दामोदर दासजी राठी, व्यावर, का जीवन-चरित्र है। सेठ जी केवल ३५ वर्ष की आयु में देश भक्ति और जाति हित के अनेक कार्य कर गये हैं। इसे पढ़कर आप अपने जीवन को उच्च और उपयोगी बनाने की शिक्षा ग्रहण करें। पृष्ठ सरया १२०; प्रचारार्थ मूल्य ॥) मात्र।

विषय सूची—१—श्री० राठी जी के पूर्वज, २, श्री० दामोदर दासजी मा, ३—प्रकृति और दिन चर्या, ४—जन्म स्थान से प्रेम, ५—व्यावर का काम, ६—जाति सुधार और शिक्षा प्रचार, ७—मारवाड में शासन सुधार, ८—सामाजिक विचार, ९—देश हित, १०—श्री० राठी जी का सम्मान, ११—श्री राठी वियोग, १२—शोक सम्वाद और लोक मत १३—ममीक्षा और स्मारक।

—इस जीवनी से देश भक्ति, व्यवसाय आदि अनेक चार्तों

की शिक्षा मिलती है। पुस्तक अवलोकनीय है।" —सौरभ
—'सभ्यता'

भारतीय अर्थ शास्त्र यह पुस्तक कई वर्षोंके परिश्रम से तैयार की गई है, किसी स्वदेश सेवी को इसके विषय की शिक्षा से विमुख न रहना चाहिए। सबका कर्तव्य है कि इसे मली भाति विचार कर भारत माता के आर्थिक उद्धार में सहायक हों। पुस्तक का मूल्य केवल २॥) रुपया है।

विषयसूची—पहिला खंड—विषय प्रवेश, १ दूसरा खंड—धनकी उत्पत्ति, तीसरा खंड—उपभोग, चौथा खंड—सुदा और बेक, पांचवा खंड—विनिमय और व्यापार, छठा खंड—धन का वितरण, सातवा खंड—राजस्व।

भारतीय चिन्तन—इस पुस्तक में राजनैतिक, अन्त-राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, विविध प्रकार के विषयों का विवेचन है। मूल्य ॥॥)

विषय सूची—इसके कुछ लेख ये हैं,—प्रेम का शासन, साम्राज्यों का जीवन मरण, प्यारी मा, स्वराज्य का मूल्य, मेरे ३० मिनट, राजनैतिक भूल भूलैया, तीर्थों में आर्थिक पतन, मृत्यु का भय और जोक, धर्म युद्ध, जेल की बातें, राष्ट्र की वेदी पर, समाज सुधार, मौत की तयारी, आदि आदि।

भारतीय राजस्वटेक्स क्यों 'दिये' जाते जाते हैं, किस हिसाब से दिये जाते हैं, सरकारी आय किन किन कार्यों में खर्च होती है, प्रजा के उम्र में कितना अधिकार होना चाहिये, सरकार के अपरिमित व्यय से देश की आर्थिक उन्नति में कौसी कौसी बाधाएँ उपस्थित होती हैं, इन प्रश्नों पर विचार करने आर्थिक स्वराज्य प्राप्त करना प्रत्येक देश प्रेमी का कर्तव्य है। इस के लिये 'भारतीय राजस्व' का विवेचन कीजिये। दो सौ से अधिक पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य ॥॥) मात्र।

विषय सूची—१-विषय प्रवेश, २-रर सम्बन्धी सिद्धांत, ३-ररों का विवेचन, ४-भारतीय राजस्व, व्यवस्था, ५-केन्द्रीय व्यय, ६-केन्द्रीय

आय, ७—प्रान्तीय व्यय, ८—प्रान्तीय आय, ९—सार्वजनिक ऋण,
१०—स्थानीय राजस्व, ११—आधिक स्वराज्य ।

जर्मनी के विधाता—इस पुस्तक में जर्मनी के उन प्रसिद्ध प्रसिद्ध २४ पुरुषों की जीवनियों का संग्रह है जिन्होंने जर्मन साम्राज्य का, अपने उद्योग से पुनरुत्थान किया है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले भारतीय पाठकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये । (पृष्ठसंख्या ६२ मूल्य १) मात्र ।

भारतीय प्रार्थी—आकार में छोटी परन्तु भाव में बड़ी यह रचना आत्म सुधार कार्य में यथेष्ट फलप्रद होगी । मात्र १८)

यमुना लहरी—यमुना के तट पर एक चार इसे पट कर देखिये, आपको आनन्द और शान्ति कितने गुणा अधिक हो जाती है । इसके बदले में यमुना लहरी की न्योछावर दो आने कौन बड़ी बात है ? एक दर्जन का मूल्य १।)

हिन्दी का संदेश—सुप्रसिद्ध स्वामी सत्य देव जी द्वारा लिखित इस प्रभावशाली हिन्दी के संदेश को हिन्द के कोने कोने में पहुंचाइये, मूल्य केवल एक आना प्रति, या ॥८) दर्जन ।

कृष्ण-दुर्गा-नाटक—यह नाटक, कृष्ण-प्रधान भारतीय समाज की दुदशा का सजीव नाटक है । आधो, सब मिल इसका विचार करें । मूल्य ॥९) है ।

नीतिदर्शन—साहित्य सेवी, देश भक्त श्री० राधामोहन गोकुल जी ने यह पुस्तक बहुत ग्रन्थों की छान चीन कर के बड़े परिश्रम से लिखी है । इस का प्रचार होने की बड़ी आवश्यकता है । बड़ी साइज के २१७ पृष्ठ की पुस्तक का मू० केवल ॥३)।

इसकी राष्ट्रीय तथा भक्ति पूर्ण गजल तथ पद्य हृदय में नव जीवन का संचार करती है, समा सोसायटियों के अधिवेशनों में इन का बड़ा मान हुआ है । प्रचारार्थ मूल्य केवल ॥४) ।

